

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

GREEN WOOD CITY VILLA JAN WELFARE SOCIETY & ANR.
...APPLICANTS

VERSUS

GODWIN CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD. & ORS.
...RESPONDENTS


I N D E X

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1.	Report on behalf of the Respondent No. 02- Meerut Development Authority along with affidavit	1-6
2.	ANNEXURE-R-2/1 True copies of some of the letters issued by the Respondent No. 02 to certain developers	7-113
3.	ANNEXURE-R-2/2 The copies of the documents which have been uploaded on the website of the Respondent	114-138
4.	ANNEXURE-R-2/3 Copies of some of the letters issued by the Respondent No. 02 to the Municipal Corporation, Meerut	139-142
5.	ANNEXURE-R-2/4 A true copy of the minutes of 124 th Board Meeting dated 17.08.2023	143-149
6.	ANNEXURE-R-2/5 True copies of the tender details and also the letter dated 06.10.2023 issued to NHAI	150-154

NEW DELHI

Date: 22.11.2023

Through



[RACHIT MITTAL]

Counsel for Respondent No. 02

RM Law Chambers

MZ-24 & 25, Ansal Fortune Arcade,

Sector 18, Noida- 201 301

Uttar Pradesh

Mob.: +91 9873997047

Email: office@rmlawchambers.in

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022

IN THE MATTER OF:

GREEN WOOD CITY VILLA JAN WELFARE SOCIETY & ANR.

...APPLICANTS

VERSUS

GODWIN CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD. & ORS.

...RESPONDENTS

**REPORT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.2- MEERUT
DEVELOPMENT AUTHORITY**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That this application has been filed by the Applicant under section 14 and 15 of the National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred as "NGT Act") seeking various reliefs.
2. That the Respondent no. 2 filed its reply to aforesaid application before this Hon'ble Tribunal on 06.01.2022. Further an Action Taken Report was also filed by the Respondent No. 02 on 13.04.2023.
3. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 18.09.2023 was pleased to pass the following order:

"4. Respondents no. 2-MDA and 5-MCM are directed to file additional responses giving complete details regarding such building projects in Meerut the external/internal development works of which have not been completed and for which completion certificates have not been issued by MDA and which have not been taken over by MCM after expiry of the stipulated period within which such external/internal development work were to be executed and also



regarding the steps taken by them for resolution of the issues and redressal of grievances of the residents of such building projects. Respondents no. 2-MDA and 5-MCA shall also place the complete information on their websites. Reply/response by respondent no. 2-MDA and respondent no. 5-MCA be filed by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF and complete information be also uploaded on their websites within two months.”

4. The total maps sanctioned by the Respondent No. 02 are 258. Out of the said 258 sanctioned maps, 29 projects have been granted completion certificate and in balance 229 projects, the developers have not applied for the completion certificate in terms of the building bye laws. The Respondent No. 02 has issued letters to the developers who have not applied for the completion certificate. True copies of some of the letters issued by the Respondent No. 02 to certain developers are annexed and marked as “ANNEXURE-R-2/1 (Colly)”.
5. The details of the 29 projects and also the details of 229 projects have been uploaded on the website of the Respondent No. 02. The copies of the documents which have been uploaded on the website of the Respondent is annexed and marked as “ANNEXURE-R-2/2.”
6. Respondent No. 02 has written letters to the Municipal Corporation, Meerut to take the handover of the projects from the developer where the completion certificates have been issued. Copies of some of the letters issued by the Respondent No. 02 to the Municipal Corporation, Meerut are annexed and marked as “ANNEXURE-R-2/3.”



7. Further, the Respondent No. 02 in its 124th Board Meeting held on 17.08.2023 has resolved that the Standard Operating Procedure will be prepared by the committee for handing over the projects to Municipal Corporation, Meerut by the developers where completion certificate has been granted. The committee comprises of following officers:

- Additional Commissioner (nominated representative, Commissioner, Meerut Division, Meerut)- Chairman
- Additional Municipal Commissioner (nominated representative, Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Meerut)- Member
- Secretary (nominated representative, Meerut Development Authority)- Member
- Executive Engineer, Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited- Member
- Executive Engineer, Jal Nigam, Meerut- Member

A true copy of the minutes of 124th Board Meeting dated 17.08.2023 is annexed and marked as "ANNEXURE-R-2/4".

8. With regard to the trunk sewer line, it is submitted that at the request of Green wood city, the sewer of the colony was connected to the manhole of the Vedvyaspuri trunk sewer line constructed by the Meerut Development Authority by laying pipeline of 200 mm dia. near the Green wood city. It was informed by the residents that the said sewer line got damaged due to expansion of NH 58 and construction of flyover. The inspection of the same was also carried out and the sewer line was found to be damaged, due to which the disposal of sewage of Greenwood colony was not found in trunk sewer line of Vedvyaspuri. For sewer disposal line, again an estimate of Rs. 36,27,118/- has been prepared and tendering



work has been completed. For executing the said work, an NOC from NHAI is required and the Respondent No. 02 has written to the NHAI to provide the NOC for executing the said work. True copies of the tender details and also the letter dated 06.10.2023 issued to NHAI are annexed and marked as "ANNEXURE-R-2/5".

9. It is submitted that the Respondent has always been vigilant in fulfilling its responsibilities with due care and consciousness at all times and has also been complying with the orders passed by this Hon'ble Tribunal from time to time.



Respondent No. 02
Meerut Development Authority

NEW DELHI

Date: 22.11.2023

Through



[RACHIT MITTAL]

Counsel for Respondent No. 02

RM Law Chambers

MZ-24 & 25, Ansal Fortune Arcade,
Sector 18, Noida- 201 301, Uttar Pradesh

Mob.: +91 9873997047

Email: office@rmlawchambers.in

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
 PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
 ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022



IN THE MATTER OF:

GREEN WOOD CITY VILLA JAN WELFARE SOCIETY & ANR.

...APPLICANTS

VERSUS


GODWIN CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD. & ORS.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Arun Kumar Sharma S/o Late Shri R.P. Sharma, aged about 58 years working as Executive Engineer, Meerut Development Authority, Meerut, U.P., presently at Noida do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That I, in the aforesaid capacity is well conversant with the facts and circumstances of the case derived on information from the record. Hence, I am competent to swear this affidavit.
2. I have read and understood the contents of accompanying report. I state that the facts stated therein are true to my knowledge derived from the official record. The legal submissions are based on legal advice received and believed to be true.



DEPONENT


VERIFICATION

I, the above-named deponent do, hereby verify that the contents of this affidavit from paragraph 1 to 2 are true to my knowledge derived from official record. Nothing material has been suppressed. So, help me God.

Verified on this 22nd day of November, 2023 at Noida.



DEPONENT



ATTESTED



Munendra Kumar Shishodia
Notary Advocate
Reg. No-13478

9 - 11 - 2023



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 60/201 मा0अनु0/जोन-सी/20 दिनांक 24/7/20

सेवा में,

मैसर्स ए.एस. शैल्टर प्रा0लि0
द्वारा डायरेक्टर श्री अतुल गुप्ता,
निवासी-ए-310, मेरठ मॉल दिल्ली रोड,
मेरठ।

विषय:-स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या: 05/14 ग्राम-खडौली, मेरठ में आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष बंधक बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप द्वारा द्वारा खसरा संख्या: 801, 804 आंशिक, 807, 808 आंशिक, 809 आंशिक, 813 आंशिक, 815 एवं 816 आंशिक राजस्व ग्राम-खडौली पर प्राधिकरण से आवासीय कालोनी हेतु तलपट मानचित्र संख्या: 05/14 स्वीकृत कराया गया था। जिसकी स्वीकृति दिनांक: 13.10.2014 एवं वैधता अवधि दिनांक: 12.10.2019 थी।

स्वीकृति के क्रम में आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष बैंक गारन्टी संख्या: SBP(MRT) 0J दिनांक: 21.08.2014 धनांक रू0 48,60,000.00 तथा SBP(MRT)/06/2014-15 दिनांक: 21.08.2014 रू0 32,40,000.00 जमा करायी गयी थी। जिसकी वैधता दिनांक: 20.02.2016 निर्धारित थी, जो कालान्तर में व्यतीत हो चुकी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा अपने प्रोजेक्ट में विकास कार्यों के 90 प्रतिशत पूर्ण होने का हवाला देते हुए उक्त के सापेक्ष ही मूल स्वीकृति के अन्तर्गत प्रस्तुत बैंक गारन्टी समानुपातिक रूप अवमुक्त किये जाने की मांग की गयी थी, जिस पर प्राधिकरण के पत्रांक: 595/18/मा0अनु0/जोन-सी दिनांक: 23.03.218 द्वारा ऐसा कोई प्राविधान न होने का हवाला देते हुए समस्त विकास कार्य पूर्ण करते हुए सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही बैंक गारन्टी अवमुक्त किये जाने सम्बन्धित सूचना देते हुए बैंक गारन्टी नवीनीकृत कराकर प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जोकि आपके द्वारा अद्यतन नवीनीकृत कराकर प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः मूल स्वीकृति के अन्तर्गत बैंक गारन्टी धनराशि रू0 48,60,000.00 एवं रू0 32,40,000.00 को नवीनीकृत कराकर प्राधिकरण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

24/7/20
(21/5/2019)

मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ। 24/7/2019



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 724/20/का० सुधुवा जे०सी/20

दिनांक : 24/8/20

सेवा में,

मै० बजानिया एसोसिएट्स,
द्वारा पार्टनर श्री जितेन्द्र कुमार,
निवासी-80, ठठेरवाडा,
मेरठ।

विषय:- तलपट मानचित्र संख्या-34/14 के सापेक्ष बंधक रखे गये भूखण्डों को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया स्वकीय प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा बागपत रोड़ पर स्थित अशोका ग्रीन कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या-34/14 में आंतरिक विकास कार्यों के मद में बंधक रखे गये भूखण्ड संख्या-सी-1, 1, 2, 15, 16 व 20 को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कालोनीवासियों द्वारा कालोनी के अवशेष विकास कार्यों के संबंध में निरन्तर शिकायतें की जाती हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया लागू की गयी है। अतः सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही बंधक किये गये भूखण्डों को अवमुक्त किया जा सकता है।

24/8/20

24/8/20
प्रभारी मात्तचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

AK



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 05/16/मा.शु.प.जो.सी/20

दिनांक : 11/08/20

सेवा में,

मैसर्स हरमन प्रोपर्टी प्रा० लि०
द्वारा श्री कै०पी० एस० कुकरेजा
निवासी-01/179, श्रद्धापुरी, कंकर खेडा
मेरठ।


विषय: ग्राम-मलियाना, मेरठ के खसरा संख्या: 581पार्ट, 587पार्ट, 588पार्ट, 592पार्ट, 593पार्ट, 595पार्ट, 600पार्ट ग्राम-मलियाना, बागपत रोड, मेरठ के भूखण्ड क्षेत्रफल 27330.00 वर्ग मी० के तलपट मानचित्र संख्या: 05/16 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप द्वारा खसरा संख्या: 581पार्ट, 587पार्ट, 588पार्ट, 592पार्ट, 593पार्ट, 595पार्ट, 600पार्ट ग्राम-मलियाना, बागपत रोड, मेरठ के भूखण्ड क्षेत्रफल 27330.00 वर्ग मी० पर तलपट मानचित्र संख्या 05/16 हरमन सिटी फेस-1 (आनन्दम कालोनी) प्राधिकरण से दिनांक 13.07.2016 को स्वीकृत कराया गया था, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 12.07.2021 तक है तथा उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन संख्या: UPRERAPRJ4145 पंजीकृत कराया गया था, जिसमें परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक: 01.08.2019 प्रस्तावित की गयी थी। उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में परियोजना के रजिस्ट्रेशन के एक्सटेंशन हेतु आवेदन नहीं किया गया है। आपके द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्राधिकरण में आवेदन किया गया था, जिसको आपत्तियों का निराकरण न किये जाने तथा मानकों के अनुरूप विकास कार्य न किये जाने के कारण दिनांक: 10.12.2019 को निरस्त किया जा चुका है।

अतः आप परियोजना/कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही कर दी जायेगी तथा उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को भी नियमानुसार आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया जायेगा।




(राजेश कुमार पाण्डेय)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: 463/20 / मा. श्रेष्ठ / ओर सी। 20

दिनांक : 19/6/20

सेवा में,

श्री कमल कुमार गोयल,
निवासी-229, ढोलकी मौहल्ला, सदर,
मेरठ।

महोदय,

आप द्वारा विश्व एन्कलेव कालोनी दिल्ली रोड़ मेरठ पर प्राधिकरण से तलपट मानचित्र संख्या-26/08 स्वीकृत कराया गया था। उक्त कालोनी के निवासियों द्वारा प्राधिकरण में शिकायत की गयी है कि आप द्वारा स्थल पर ओवर हैड टैंक का स्थापना नहीं किया गया है, जिससे कालोनीवासियों को पेय जल आपूर्ति सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रही है। साथ ही आपने अभी तक उक्त कालोनी का प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कालोनी का प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित करने का कष्ट करें।

19/6/20

19/6/20
प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

19/6/20

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1107/18 / मा० अनु०/जो० सी/18 दिनांक: 01/9/18

सेवा में,
जिलाधिकारी,
मेरठ।

विषय:— तलपट मानचित्र संख्या-08/08 (वन्डर सिटी) की स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रू०-15,96,311.00 की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वन्डर सिटी कालोनी ग्राम खडौली के विकासकर्ता मै० गायत्री एसोसिएट्स द्वारा श्री पंकज चौधरी, निवासी-ग्राम भराला, पोस्ट-दौराला, जिला-मेरठ द्वारा कालोनी के विकास हेतु प्राधिकरण से मानचित्र संख्या-08/08 स्वीकृत कराया गया है। कालोनी के स्वीकृत पत्र/अनुबन्ध के अनुसार कालोनी का विकास कार्य पूर्ण कर प्राधिकरण से सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना था तथा कालोनी को नगर निगम, मेरठ को रख-रखाव हेतु हस्तांतरित करना था। परन्तु उनके द्वारा स्वीकृत पत्र/अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। विकासकर्ता द्वारा कालोनी में अधूरे विकास कार्य करके भूखण्डों का विक्रय कर दिया गया है। विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण वहां के निवासियों द्वारा शिकायतें किये जाने के कारण अवशेष विकास कार्यों का आंगणन धनांक रू०-15,96,311.00 का तैयार कराया गया तथा विकासकर्ता को पत्र संख्या-1678/18/मान० अनु०/जो० सी/18 दिनांक 10.07.2018 के माध्यम से अवशेष विकास कार्य एक माह में पूर्ण कराये जाने एवं अवशेष विकास कार्य एक माह में पूर्ण न कराये जाने पर भू-राजस्व के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया, परन्तु विकासकर्ता द्वारा उक्त आंगणन के सम्बन्ध में न तो कोई आपत्ति व्यक्त की गई और न ही स्थल पर अवशेष विकास कार्य पूर्ण कराये गये।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में अनुरोध है कि विकासकर्ता मै० गायत्री एसोसिएट्स द्वारा श्री पंकज चौधरी, निवासी-ग्राम भराला, पोस्ट-दौराला, जिला-मेरठ से उक्त आंगणित धनराशि रू०-15,96,311.00 की वसूली भू-राजस्व के माध्यम से किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

01-9-18

31-8-18
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1054/18/मानचित्र-अनु0(जोन-सी)/18
सेवा में,

दिनांक : 27 :12 :2018

मै0 शिवा बिल्डकॉन,
द्वारा श्री राहुल अग्रवाल,
निवासी-ए-09, कमलनगर
मेरठ।


विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार न्यू विश्व एन्कलेव के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 10/10 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 10/10/18/मान0अनु0 जोन-सी/2018 दिनांक 17.05.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेरीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ


उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 984/18/मानचित्र-अनु0(जोन-सी)/18
सेवा में,

दिनांक : 24 :12 :2018

मै0 विवशु डेवलपर्स प्रा0 लि0,
द्वारा श्री अतुल गुप्ता डायरेक्टर,
ए-310 मेरठ माल, दिल्ली रोड,
मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार मैफेयर कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 18/10 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 922/18/मान0अनु0 जोन-सी/2018 दिनांक 25.04.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 25/11 / मा० शुभदी (मेरठ) 18

दिनांक: 18/11/18

सेवा में,

M/s. ~~.....~~

~~.....~~

A-510 ~~.....~~

~~.....~~

विषय :- तलपट मानचित्र संख्या 25/11 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था।

आन्तरिक विकास कार्यों को संतोषजनक स्थिति में किये जाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः आपको अन्तिम बार अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 10 कार्यदिवस के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

~~.....~~
18/11/18

C. K. Sharma

17/02/18

प्रभारी मानचित्र

मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ।

~~.....~~

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1217/19/मानचित्र-अनु0(जोन-सी)/19
सेवा में,

दिनांक : 07/01/2019

श्री प्रदीप गुप्ता पुत्र श्री रोशन लाल गुप्ता,
निवासी-09-ए, कमला नगर,
बागपत रोड, मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार मोहकमपुर के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 34/11(संशोधित) के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आप द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लेटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(15/01/19)
प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(15/01/19)
प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 28/11 /मानचित्र सुबुल जोन-सी/21

दिनांक : 19.12.21

सेवा में,

श्री 0 हरमन जॉर्जि प्रोपर्टी
 डेव्लपर्स के 0 पीपल एकेडमी
 0/1/79, अड्डापुरी, कंकर खेड़ा
 मेरठ।

विषय: तलपट मानचित्र संख्या: 23/11 के पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्राधिकरण से तलपट मानचित्र संख्या: 23/11 स्वीकृत कराया गया था तथा उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन संख्या: UPRERAPRJ.4578..... पंजीकृत कराया गया था। आप द्वारा अभी तक परियोजना/कालोनी का उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में परियोजना के रजिस्ट्रेशन/एक्सटेंशन हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

अतः आप परियोजना/कालोनी का उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में परियोजना के रजिस्ट्रेशन के एक्सटेंशन हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करें। आपके तलपट मानचित्र की वैधता अवधि दिनांक: 22-12-2016 तक थी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकरण से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।

25/12/21

19/12

प्रभारी मानचित्र
 मेरठ विकास प्राधिकरण,
 मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 840/मो जी.न.ए. / 20

दिनांक : 08.10.2020

सेवा में,

मै० गौल्डी एसोसिएट्स,
द्वारा पार्टनर श्री राकेश कुमार आदि,
नि०-75, गुप्ता कालोनी,
मेरठ।

विषय:- स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या-23/12 के सम्पूर्णता प्रमाण पत्र के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि आप द्वारा प्राधिकरण से खसरा संख्या-1714मि०, राजस्व ग्राम मलियाना पर तलपट मानचित्र संख्या-23/12 दिनांक 01.03.2014 को स्वीकृत कराया गया था, जिसकी वैधता अवधि 28.02.2019 थी। आप द्वारा अभी तक प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। प्राधिकरण में वर्तमान में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन पोर्टल प्रक्रिया क्रियाशील है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त तलपट मानचित्र का पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।

~~5.10.2020~~
राजेश

[Signature]
07.10.2020

प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

[Signature]



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 07/08/मानचित्र अनुसू जीज-सी/21

दिनांक : 19.2.21

सेवा में,

श्री एडोन विल डेव साठ ठिकठ
द्वारा आयुक्त श्री अनुभव यादव
नि. - 18, हाकरा, मेरठ।

विषय: तलपट मानचित्र संख्या: 07/08 के पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्राधिकरण से तलपट मानचित्र संख्या: 07/08 स्वीकृत कराया गया था तथा उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन संख्या: UPRERAPRJ.1.4.75..... पंजीकृत कराया गया था। आप द्वारा अभी तक परियोजना/कालोनी का उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में परियोजना के रजिस्ट्रेशन/एक्सटेंशन हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

अतः आप परियोजना/कालोनी का उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में परियोजना के रजिस्ट्रेशन के एक्सटेंशन हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करें। आपके तलपट मानचित्र की वैधता अवधि दिनांक: 11.06.2014 तक थी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकरण से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तारित करना सुनिश्चित करें।

25/2/21

19/2/21

प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

V

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ

पत्रांक: 982/18/मानचित्र-अनु0(जोन-सी)/18
सेवा में,

दिनांक : 24 :12 :2018

मै0 कृतिका एस्टेट,
पार्टनर श्री अशोक कुमार गर्ग,
निवासी-37, छिपी टैंक
मेरठ।


विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार सुन्दरम ऋषि नगर के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 16/11 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 423/18/मान0अनु0 जोन-सी/2018 दिनांक 06.03.18 एवं पत्र सं0 1377/18/मान0अनु0 जोन-सी/2018 दिनांक 05.06.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

विकास

प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 22/14 / का० ३५०/ओ०सी/१८

दिनांक : 15/9/18

सेवा में,

M/S जे.एस. टाटा ग्रो ग्रोआर.डी.ए. केनिवासी - B-72 80-57 नो. 25

महोदय,

सूचित करना है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कालोनियों एवं प्राधिकरण की कालोनियों में कूड़ा निस्तारण वर्मी कम्पोस्टिंग करते हुए किये जाने हेतु प्राधिकरण सभागार में एक कार्यशाला दिनांक 19.09.2018 को दोपहर 02.00 बजे आयोजित की गयी है, जिसमें समस्त निजी विकासकर्ता, कालोनियों की आर.डब्ल्यू.ए. के अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। निजी विकासकर्ता एवं कालोनियों की आर.डब्ल्यू.ए. के अध्यक्ष/सचिव द्वारा कालोनियों के तलपट मानचित्र पर अपनी कालोनी के कुल कूड़ा निस्तारण की मात्रा के अनुसार भूमि चिह्नित करते हुए कार्यशाला में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। वर्मी कम्पोस्टिंग हेतु प्रति 10 टन कूड़े हेतु 1000 वर्ग मी० भूमि का मानक है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 प्रभारी मानचित्र,
 मेरठ विकास प्राधिकरण,
 मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

सेवा में,

पत्रांक :

119 / मा0 अनु0 / 23

दिनांक :

18-3-23


गंगा एसोसिएट
पार्टनर श्रीमती चांदनी अग्रवाल,
पत्नी स्व0 श्री राहुल अग्रवाल,
सी-43, सम्राट पैलेस कालोनी,
गढ रोड, मेरठ।
मो0-9219720482

विषय:- गंगा नगर सिटी कालोनी स्थित ग्राम अब्दुल्लापुर मेरठ के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0-19/10 (संशोधित) के आन्तरिक व अन्य विकासकार्य पूर्ण न किये जाने व पूर्णता प्रमाण पत्र न लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री विक्रम कुमार एवं अन्य के द्वारा दिनांक 20.02.2023 को शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें तलपट मानचित्र सं0-19/10 में आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समस्त विकासकार्य पूर्ण कर प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, जो आप द्वारा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र सं0-1992 दिनांक 03.05.2019, 1225 दिनांक 07.01.2019 व 2775 दिनांक 31.07.2019 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है। आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त विकास कार्यो को पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु ऑन लाईन आवेदक प्रस्तुत करें तथा कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें साथ ही यह भी अवगत कराया जाना है कि नगर निगम को हस्तान्तरित किए जाने तक विकासकार्यो का अनुरक्षण आपका (विकासकर्ता) दायित्व है।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तर दायित्व आपका होगा।


17/3
प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:-

1. श्री विक्रम कुमार पुत्र स्व. श्री सीता राम ए-73 गंगा सिटी गंगा नगर मेरठ को सूचनार्थ।


17/3
प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(142)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 573 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी) / 18 दिनांक : 20/03/2018

प्रेषक,

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्रीमती रत्नादेवी पत्नी सुखीर सिंह,
पी0ओ0ए0 श्री ज्ञानेन्द्र अग्रवाल,
हंस विला फूलबाग कालोनी,
एस0के0 रोड, मेरठ।

विषय: विष्णु लोक कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 20/2001 में प्रस्तुत आन्तरिक विकास कार्यों की बैंक गारंटी के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा विष्णु लोक कालोनी के तलपट मानचित्र सं0 20/2001 के आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष प्राधिकरण में बैंक गारंटी सं0 BGNo. ILC 1004 रु0 13,86,000/-, पंजाब नेशनल बैंक, ई0के0रोड, मेरठ प्रस्तुत की गयी थी। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 21.08.2004 को समाप्त हो गयी है परन्तु आप द्वारा उक्त बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर अभी तक प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप द्वारा प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित भी नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त स्थिति में कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित होने तक उक्त बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर दिनांक 20/03/18 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति बसूल की जायेगी।

21/3/18

भवदीय,

Ghanshu

20/03/18

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ।

125

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 589/18/मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18 दिनांक 22:03:2018

प्रेषक,

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

ओम विल्डर्स एंड डवलपर्स,
श्री बी0एल0 त्यागी,
पुत्र श्री रामानन्द त्यागी,
नि0 11/1, शास्त्रीनगर,
मेरठ।

विषय: गंगा गार्डन कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 09/2005 में प्रस्तुत आन्तरिक विकास कार्यों की बैंक गारंटी के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा गंगा गार्डन कालोनी के तलपट मानचित्र सं0 09/2005 के आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष प्राधिकरण में बैंक गारंटी सं0 ILG 01/07 रू0 20,32,775/-, पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर-2 शास्त्रीनगर, मेरठ प्रस्तुत की गयी थी। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 15.01.2008 को समाप्त हो गयी है परन्तु आप द्वारा उक्त बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर अभी तक प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप द्वारा प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित भी नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त स्थिति में कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित होने तक उक्त बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर दिनांक 02/04/18 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

20/03/18

भवदीय,

Akash

21/03/18

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 184/201 सांख्यिक/पञ्जाब

दिनांक : 28/01/2020

सेवा में,

श्री अनिल यादव,
पुत्र श्री रघुवीर सिंह,
निवासी-18, साकेत,
मेरठ।

विषय: तलपट मानचित्र संख्या-01/96 मयूर विहार कालोनी के अन्तर्गत आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष रखी गई बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है आपके द्वारा मयूर विहार कालोनी के तलपट मानचित्र संख्या-01/96 की स्वीकृति के समय आन्तरिक विकास कार्यों की लागत रु०-50,000/- के सापेक्ष पंजाब नैशनल बैंक, शाखा-सिविल लाईन, मेरठ की बैंक गारन्टी संख्या-06/2001 दिनांक-26.12.2002 समयावधि दिनांक-26.12.2002 को समाप्त हो चुकी है। उक्त बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही आपके द्वारा उक्त कालोनी का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा उक्त बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में करने हेतु रिकवरी सर्टिफिकेट (आर०सी०) जिलाधिकारी, मेरठ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

[Handwritten Signature]
28-01-2020

प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

[Handwritten Initials]

प्रतिलिपि: शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक, शाखा-सिविल लाईन, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि मेरठ विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना उक्त बैंक गारन्टी की धनराशि अवमुक्त न की जाये।

[Handwritten Signature]
28-01-2020

प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

[Handwritten Initials]

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 342/ओ.जोन-डी/23

दिनांक : 19-6-23

सेवा में,

मै० हैपटी बिल्डटैक प्रा० लि०,
द्वारा श्री अनिल यादव,
निवासी-18, साकेत,
मेरठ।

विषय:- खसरा संख्या-6362, 6363पार्ट, 6364पार्ट, मेरठ के मयूर विहार एक्सटेन्शन-1 शास्त्रीनगर, मेरठ के भूखण्ड क्षेत्रफल 7850.00 वर्ग मी० पर तलपट मानचित्र संख्या-04/09 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आप द्वारा खसरा संख्या-6362, 6363पार्ट, 6364पार्ट, मेरठ के भूखण्ड क्षेत्रफल 7850.00 वर्ग मी० पर भूखण्डीय विकास हेतु तलपट मानचित्र संख्या-04/09 मयूर विहार एक्सटेन्शन-1 शास्त्रीनगर, मेरठ, मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया था। आप द्वारा प्रश्नगत कालोनी के तलपट मानचित्र की शर्तों के अनुसार समस्त विकास कार्य पूर्ण कर अभी तक प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः आप प्रश्नगत कालोनी के समस्त विकास कार्य पूर्ण करते हुए प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

प्रभारी मानचित्र (जोन-डी),
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

6775
29/12/18

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 965 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी) / 18
सेवा में,

दिनांक : 24.12.2018

मै0 गंगा एन्टरप्राइजेज,
ए-310 मेरठ मॉल, दिल्ली रोड,
मेरठ।

द्वारा श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री धर्मदास,
नि0 39/16 शिवाजी रोड, मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार गंगा वाटिका के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 28/10 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटिनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि: उपस्थित महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 547/18/मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18
प्रेषक,

दिनांक : 02/07/2018

प्रभारी मानचित्र, जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

मै0 रिद्धी प्रमोटर्स प्रा0 लि0,
द्वारा श्री राकेश जैन,
पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन,
निवासी-68/3, कमला नगर, मेरठ।

विषय: वर्धमान गोल्डन पार्क, कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 35/14 के आन्तरिक विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा वर्धमान गोल्डन पार्क, कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 35/14 अनुबंध की शर्तों के अनुसार कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है और न ही कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित की गयी है। कालोनी का निरीक्षण कराकर कालोनी के क्षतिग्रस्त/अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों का आगणन तैयार कराया गया है जो धनांक रू0 23,19,775/- का है।

अतः कालोनी के क्षतिग्रस्त/अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों को दिनांक 31/7/2018 तक पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व की भाँति वसूली हेतु आर0सी0 जारी कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।


03.7.18

भवदीय,

Gkaushis

25/06/18

प्रभारी मानचित्र, जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(156)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 574 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18 | दिनांक : 20 : 03 : 2018

प्रेषक,

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री अश्वनी कुमार आदि,
262 ट्रांसपोर्टनगर, बागपत रोड,
मेरठ।

विषय: शिप्रा विहार कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं० 18/2004 में प्रस्तुत आन्तरिक विकास कार्यों की बैंक गारंटी के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा शिप्रा विहार कालोनी के तलपट मानचित्र सं० 18/2004 के आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष प्राधिकरण में बैंक गारंटी सं० BGNo. 12/09 रु० 6,00,000/-, इलाहाबाद बैंक, मेरठ प्रस्तुत की गयी थी। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 24.11.2009 को समाप्त हो गयी है परन्तु आप द्वारा उक्त बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर अभी तक प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप द्वारा प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित भी नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त स्थिति में कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित होने तक उक्त बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर दिनांक 26/03/18 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

भवदीय,

A. K. Singh

20/03/18

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 4671/मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18 दिनांक : 9 : 03 :2018

प्रेषक,,

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

मै0 रोहणी एन्टरप्राइजेज
द्वारा पार्टनर श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल,
निवासी- शम्भू नगर,
मेरठ।

विषय: गंगावाटिका कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 20/09 में प्रस्तुत बैंक गारंटी के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा गंगावाटिका कालोनी के तलपट मानचित्र सं0 20/09 के आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष प्राधिकरण में बैंक गारंटी सं0 210928/2013-14/50175086599 रू0 5,50,000/- इलाहाबाद बैंक कबाड़ी बाजार, मेरठ प्रस्तुत की गयी थी। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 17.10.2016 को समाप्त हो गयी है परन्तु आप द्वारा बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर अभी तक प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप द्वारा प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित भी नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त स्थिति में कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित होने तक बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर दिनांक 16-03-2018 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय,

Aravind

09/03/18

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Q
12/3/18

6868/RC
27/12/18

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1033 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी) / 18
सेवा में,

दिनांक : 27 :12 :2018

श्रीमति विजय कुमारी एडवोकेट,
नि0-एफ-44 पल्लवपुरम फेस-1
मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार द्विव्यलोक कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 26 / 07 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक : 2870/आ.जी.न.1/19

दिनांक : 26.8.19

सेवा में,

श्री गजेन्द्र सिंह
पुत्र श्री रणवीर सिंह,
निवासी-292/2, कमालपुर,
मेरठ।

विषय: तलपट मानचित्र संख्या: 02/2001, साईं नगर आवासीय कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने व नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि साईं नगर आवासीय कालोनी में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण न होने के सम्बन्ध में श्री वीर बोस तेवतिया संरक्षक, साईं नगर आवासीय कल्याण समिति द्वारा मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन को शिकायत की गयी है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि साईं नगर आवासीय कालोनी में अवशेष आन्तरिक विकास कार्य एक माह के अन्दर पूर्ण कर, पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त नगर निगम, मेरठ को उक्त कालोनी को हस्तांतरित कर प्राधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें।

26/8/19

G. K. Singh
26/08/19

प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

3242/VE
08/01/19

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1222/मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/19
सेवा में,

दिनांक : 01/2019

श्री अनिल कुमार मित्तल, श्री रवि कुमार मित्तल,
श्री शंशाक मनोहर पुत्रगण श्री मोती मनोहर,
निवासी-प्रयाग फार्म मेडिकल कॉलिज,
मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार मोती प्रयाग कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 04/99 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनैस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपस्थित - जॉन. डी.
महोदय
8/1/19
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

234

पत्रांक : 775 / मानचित्र 3113 / 20
जोन डी

दिनांक : 07/09/2020

सेवा में,

मैसर्स राजगोल्फ ग्रीन कालोनी
द्वारा श्री राजकुमार भारद्वाज
51, बेगमबाग करौली रोड
मेरठ।

महोदय,

मैसर्स राजगोल्फ ग्रीन, गंगानगर मवाना रोड, मेरठ का आवासीय तलपट मानचित्र सं०-20/11 द्वारा स्वीकृत है तथा जिसकी वैधता दिनांक 17.10.2011 से 16.10.2016 तक स्वीकृत है तथा जिसका पूर्णता प्रमाण-पत्र आप द्वारा अद्यतन प्राप्त नहीं किया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि कालोनी के समस्त विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र विकासकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाना बाध्यकारी रूप से अनिवार्य है साथ ही पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर विकास कार्यों के अनुरक्षण हेतु कालोनी को नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने तक विकास कार्यों का अनुरक्षण किया जाना विकासकर्ता की जिम्मेदारी है। कालोनी वासियों द्वारा कालोनी के चारों तरफ दीवार की बाउन्ड्री न किये जाने, सीवर चोक होने, स्ट्रीट लाईट खराब होने, कालोनी में आपके अपने स्वामित्वाधीन भूखण्डों में जंगली घासफूस/पेड़ उगने व उनके कारण जहरीले जीव-जन्तुओं के हो जाने इत्यादि की शिकायत की जा रही है।

कृपया उपरोक्त शिकायतों का निवारण कर 15 दिनों के अन्दर अवगत करायें साथ ही पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर विकास कार्यों को नगर निगम मेरठ को हस्तांतरित करने का कष्ट करें अन्यथा विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

07/09/2020

07.09.2020

प्रभारी अधिकारी
मानचित्र जोन डी

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

P/C

07/09/2020

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1100 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी) / 18
सेवा में,

दिनांक : २४ : 12 : 2018

श्री विजय व श्री धर्मवीर,
द्वारा श्री योगेन्द्र राणा,
नि0-81 श्रीराम पैलेस,
दिल्ली रोड मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार अलकनन्दा धाम कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 01/05 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनैस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

२९/१२/१८

भवदीय,

(१५)

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

२९/१२/१८

(१५)

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1682 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी) / 18 दिनांक : 12 : 07 : 2018

प्रेषक,,

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री सुनील त्यागी ,
पार्टनर मै0 कृष्णा कान्स्ट्रैक्टर्स
नि0-एच-12, पटेल नगर-3,
गाजियाबाद।


विषय: कृष्णा गार्डन कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 04/02 के आन्तरिक विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में।


महोदय,

आपके द्वारा कृष्णा गार्डन कालोनी के तलपट मानचित्र सं0 04/02 के आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर अभी तक प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है आप द्वारा प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित भी नहीं की गयी है। कालोनी का निरीक्षण कराकर कालोनी के क्षतिग्रस्त/अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों का आगणन तैयार कराया गया है जो धनांक रू0 23,01,229/- का है।

अतः कालोनी के क्षतिग्रस्त/अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों को दिनांक 25.08.18 तक पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व की भाँति वसूली हेतु आर0सी0 जारी कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय,


11.7.18



प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ - विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 587/18/मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18 दिनांक: 21/03/2018

प्रेषक,

- प्रभारी मानचित्र, जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

मै0 रैनीसंस रियलकान प्रा0लि0,
द्वारा श्री अतुल गुप्ता,
नि0-ए-310, मेरठ मॉल दिल्ली रोड,
मेरठ।

विषय: कोरल सिप्रंग कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 16/2006 में प्रस्तुत आन्तरिक विकास कार्यों की बैंक गारंटी के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा कोरल सिप्रंग कालोनी के तलपट मानचित्र सं0 16/2006 के आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष प्राधिकरण में बैंक गारंटी सं0 BG 3698 ILG 000312 रू0 27,15,000/-, पंजाब नेशनल बैंक, बेगम ब्रिज, मेरठ प्रस्तुत की गयी थी। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 29.08.2013 को समाप्त हो गयी है परन्तु आप द्वारा उक्त बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर अभी तक प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप द्वारा प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित भी नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त स्थिति में कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित होने तक उक्त बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर दिनांक 21/03/2018 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

21/03/18

भवदीय,

C. K. Singh
21/03/18

प्रभारी मानचित्र, जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

6871/VC
27-12-18

पत्रांक: 1036 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी) / 18
सेवा में,

दिनांक : 27 : 12 : 2018

श्री योगेन्द्र राणा,
ए0 6 सं0 3 असंलशुसान्त सिटि,
परतापुर बाई पास मेरठ।
मो0. 9837003382

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार गंगाधाम कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 02/06 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्य यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मानचित्र-अनु0(जोन-डी)
अधिकारी
27-12-18
मेरठ विकास प्राधिकरण

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 3663/भो पीन-D/19

दिनांक : 13/12/19

सेवा में,

मैसर्स गायत्री बिल्ड एसोसिएट्स प्रा० लि०,
द्वारा श्री पंकज चौधरी,
निवासी-ग्राम भराला, सरधना,
मेरठ।

विषय:- तलपट मानचित्र संख्या-21/09 ड्रीम सिटी फेस-2 कालोनी के अन्तर्गत आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष रखी गई बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है आपके द्वारा ड्रीम सिटी फेस-2 कालोनी के तलपट मानचित्र संख्या-21/09 की स्वीकृति के समय आन्तरिक विकास कार्यों की लागत रू०-69,10,000/- के सापेक्ष स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा-कचहरी, मेरठ की बैंक गारन्टी संख्या-एस185/2010 दिनांक-06.04.2010 समयावधि दिनांक-05.04.2011 को समाप्त हो चुकी है। उक्त बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही आपके द्वारा उक्त कालोनी का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा उक्त बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में करने हेतु रिकवरी सर्टिफिकेट (आर०सी०) जिलाधिकारी, मेरठ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

13/12/19
प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा-कचहरी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि मेरठ विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना उक्त बैंक गारन्टी की धनराशि अवमुक्त न की जाये।

13/12/19
प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

3241/VE
08/01/18

256

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 122 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी) / 18
सेवा में,

दिनांक: 07 01 :2018

मै0 गेटवे ग्लोबल विल्डवैल प्रा0 लि0,
द्वारा डायरेक्टर श्री अजय ग्रोवर,
नि0-9/151 भगवानगंज मण्डी,
मोदीनगर, गाजियाबाद।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार मै0 गेटवे ग्लोबल विल्डवैल के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 27/12 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेसा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लेटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8/1/18
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

8/1/18
प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(21)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1286/मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/19
सेवा में,

दिनांक : 16/1/19

मै0 गाडविन कं0प्रा0लि0,
द्वारा श्री जितेन्द्र वाधवा,
नि0-ए-151 डिफेन्स कालोनी,
मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार ग्रेटर गंगा (गंगा नगर) के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 01/2002 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लेटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

16/1/19

भवदीय,

16/1/19
प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

17-01-19

16/1/19
प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

6938/ve
28/12/18

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: 1079 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी) / 18
सेवा में,

दिनांक 27 :12 :2018

मै0 शुभ एण्ड एसोशिएट्स द्वारा,
श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल,
नि0-ए-40 मीनाक्षीपुरम, मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार साईं वाटिका कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 27/14 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनैंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

श्रीमान श्री जति-0

28/12/18

प्रतिनिधि-विभागाध्यक्ष प्राधिकरण
उप-अध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

28/12/18
प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

6937/WL
28/12/18

112

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1078 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18
सेवा में,

दिनांक : 27 :12 :2018

एंपेक्स इन्टरनेशनल द्वारा पार्टनर,
श्री रमेश चन्द्रा,
नि0-36/16 शिवाजी रोड, मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार गंगा वाटिका कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 01/2015 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।


उ0 मानचित्र जोन-D


28/12/18
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि: उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

332

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पत्रांक : 527 / मानचित्र अनु0 / जोन डी0 / 2010

दिनांक :- 02/11/10

सेवा में,

श्री प्रदीप कुमार आदि (स्वामी)
द्वारा श्री अशोक कुमार गर्ग (मुख्तारेआम)
रामा प्लाजा, बच्चा पार्क,
विष्णु शरण दुबलिश मार्ग, मेरठ।

विषय:- तलपट मानचित्र संख्या 16/2000, सोमदत्त विहार कालोनी का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्राधिकरण द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 1874/10/मा0अनु0/(जोन-डी)अनुराधा/10 दिनांक 18.02.10 व अनुस्मारक पत्रांक 46/मा0अनु0/(जोन-डी)/10 दिनांक 21.06.10 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम सराय काजी के कतिपय खसरा नम्बरान पर स्वीकृत सोमदत्त विहार कालोनी के तलपट मानचित्र संख्या 16/2000 के अन्तर्गत तलपट मानचित्र स्वीकृति की शर्तों के अनुसार कालोनी को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित करते हुए कालोनी का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ स्थलानुसार विकास कार्य दर्शाते हुए कम्प्लीशन-ड्राईंग प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गई थी, किन्तु अभी तक आपके द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

अतः आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए अवगत कराना है कि कालोनी को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार आवेदन करते हुए एवं स्थलानुसार विकास कार्य दर्शाते हुए कम्प्लीशन ड्राईंग प्रस्तुत करने का कष्ट करें।


सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

134

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 558/18/मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18 दिनांक : 20 : 03 : 2018

प्रेषक,,

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री विकास जैन,
व श्री योगेन्द्र राणा,
निवासी-100, साकेत,
मेरठ।

विषय: गंगाधाम फेस-तृतीय कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 23/09 में प्रस्तुत आन्तरिक विकास कार्यों की बैंक गारंटी के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा गंगाधाम फेस-तृतीय कालोनी के तलपट मानचित्र सं0 23/09 के आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष प्राधिकरण में बैंक गारंटी सं0 BGNo. 265619PER 000510 रू0 19,92,000/- बैंक आफ बडौदा शास्त्रीनगर, मेरठ प्रस्तुत की गयी थी। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 04.02.2011 को समाप्त हो गयी है परन्तु आप द्वारा उक्त बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर अभी तक प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप द्वारा प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित भी नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त स्थिति में कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित होने तक उक्त बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर दिनांक 31.3.2018 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

[Handwritten signature]

भवदीय,

[Handwritten signature]

20/03/18

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

[Handwritten signature]
20.3.18
J.E.

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 562/18/मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18

दिनांक : 29/05/2018

प्रेषक,,

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री योगेन्द्र राणा,
पुत्र श्री जगवीर सिंह
निवासी- 81, श्रीराम पैलेस, दिल्ली रोड,
मेरठ।

विषय: गंगाधाम एक्स0 कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 01/07 में प्रस्तुत आन्तरिक विकास कार्यों की बैंक गारंटी के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा गंगाधाम एक्स0 कालोनी के तलपट मानचित्र सं0 01/07 के आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष प्राधिकरण में बैंक गारंटी सं0 BG 02/07 रू0 19,00,000/- व BG सं0 03/07 रू0 19,57,800/- पंजाब एड सिंध बैंक दिल्ली रोड मेरठ प्रस्तुत की गयी थी। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 06.08.2008 को समाप्त हो गयी है परन्तु आप द्वारा उक्त बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर अभी तक प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त बैंक गारंटी नवीनीकरण कराने हेतु कार्यालय के पत्र सं0 562/18/मान0अनु0 जोन-डी/18 दिनांक 20.03.18 द्वारा सूचित किया गया था जिस पर आप द्वारा पत्र दि0 27.03.18 प्रस्तुत करते हुए आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर वेलफेयर समिति को सुपुर्द कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है परन्तु आप द्वारा प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। कालोनी के हस्तांतरण तक कालोनी के रखरखाव की जिम्मेदारी आपकी है।

अतः उपरोक्त स्थिति में कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी हस्तांतरित होने तक उक्त बैंक गारंटी को नवीनीकरण कराकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकायों की भाँति वसूल की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय,

Gkaurhit
29/05/18

प्रभारी मानचित्र. जोन-डी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ।

28/5/18
2

Gkaurhit
30.5.18

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1109 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18
सेवा में,

दिनांक : 28 :12 :2018

श्री आनन्द प्रकाश अग्रवाल,
नि0 -210 वेस्ट एण्ड रोड,
मेरठ कैन्ट।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार कीर्ति पैलेस कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं011/2000 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लेटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटिनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

35/11/18

भवदीय,

(15)
प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ। 01/12

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/12/18

(15)
प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ। 01/12



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 154/आ.जी.ए-5/22

दिनांक : 16.11.22

सेवा में,

अनुस्मारक पत्र-3

मैसर्स यूनाईटेड एस्टेट
पार्टनर श्री अतुल गुप्ता
निवासी-ए-310, मेरठ मॉल,
दिल्ली रोड, मेरठ।

विषय:- पंचवटी कालोनी के स्वीकृत तलपट. मानचित्र संख्या: 15/2000 में विकास कार्य पूर्ण करके सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्राधिकरण के पूर्व पत्रांक 30/जोन-डी/22 दिनांक 13.01.2022, पत्रांक 298/मान0 जोन-डी दिनांक 09.06.2021, पत्रांक 230/मान0 जोन-डी/21 दिनांक 31.03.2021 एवं पत्रांक 879/मान0 जोन-डी/20 दिनांक 04.11.2020 व पत्रांक-894/मान0 जोन-डी/21 दिनांक 20.12.2021 एवं आई.जी.आर.एस. संख्या-40013821036617 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा दिनांक: 25.02.2019 को तलपट मानचित्र संख्या: 15/2000 पंचवटी कालोनी, मवाना रोड, मेरठ का पूर्णता प्रमाण हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु आप द्वारा आपत्तियों का निराकरण न करने पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आपके आवेदन को दिनांक: 21.05.2019 को निरस्त कर दिया गया था, जिसकी सूचना आपको पत्र संख्या: 2440/मानचित्र अनुभाग-जोन-डी/19 दिनांक: 31.05.2019 एवं पत्रांक 788/मान0अनु0/जोन-डी दिनांक 16.09.2020, 879/मान0 जोन-डी/20 दिनांक 04.11.2020 एवं पत्रांक 65/मा0 जोन-डी/2021 दिनांक 30.01.2021 के माध्यम से सूचित की गयी, सूचित आपत्तियों निम्नवत् थी :-

1. सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत तलपट मानचित्र स्थल के अनुरूप नहीं है।
2. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, जो स्थल पर क्रियाशील नहीं है।
3. सीवर डिस्पोजल का प्रस्ताव मानचित्र में अंकित नहीं है।
4. स्थल पर फायर हार्डनेस की व्यवस्था करनी होगी।
5. कालोनी के अन्दर कूड़ा, सूखे पेड़, पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

परन्तु आप द्वारा अद्यतन तक पंचवटी कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या: 15/2000 में विकास कार्य पूर्ण करके सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप कालोनी के विकास कार्य पूर्ण कर सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ऑन-लाईन आवेदन प्रस्तुत करें एवं कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने तक विकास कार्यों का अनुरक्षण आपका उत्तरदायित्व है। कालोनी वासियों द्वारा निरन्तर प्राधिकरण में विकास कार्यों के पूर्ण न होने व उनका अनुरक्षण नहीं किये जाने की शिकायतें प्रस्तुत की जा रही हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्य पूर्ण करते हुए कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

16/11/22

नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

6778^{VL}
24-12-18

पत्र क्र: 968 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी) / 18
सेट में,

दिनांक : 24 : 12 : 2018

(504)

मै0मणि बिल्डर्स,
द्वारा श्री अतुल गुप्ता,
नि0 39/16 शिवाजी रोड मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार कृष्णा लोक के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 14/01 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व पत्रांक संख्या 224/मान0जोनडी0 दिनांक 12.02.18 व 1760/मान0जोन0-डी दिनांक 17.07.18 कृष्णा लोक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

6869/VC
27/12/18

पत्रांक: 1034 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी) / 18
सेवा में,

दिनांक : 27 :12 :2018

134

श्री आर.पी.शर्मा,
सचिव,
लक्ष्मी विहार सहकारी आवास समिति, लि0
मेरठ।

कार्यालय-1028 ब्रहमपुरी मेरठ शहर।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार लक्ष्मी बिहार सहकारी आवास समिति लि0के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 10/09 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में। महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यों यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ
27/12/18

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1683/मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/19
सेवा में,

दिनांक : 16-1-19

मै0 शिव कृपा बिल्डर्स,
द्वारा पार्टनर श्री अशोक कुमार गर्ग,
निवासी-37 छीपी टैंक मेरठ।


विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार सोमदत्त विहार के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 13/2001 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।


आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लेटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:— उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।




प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

312

पत्रांक: 966 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18
सेवा में,

दिनांक : 24 :12 :2018

मै0 गंगा एन्टरप्राइजेज,
ए-308 मेरठ मॉल, दिल्ली रोड,
मेरठ।

द्वारा श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री धर्मदास,
नि0 39/16 शिवाजी रोड, मेरठ।


विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार गंगा वाटिका के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 16/13 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।


आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।




प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 3662/भा0 जोन-डी/19

दिनांक : 13/12/19

सेवा में,

श्री पंकज चौधरी,
मैसर्स गायत्री डवलपर्स एण्ड प्रोमोटर्स,
गंगा ग्रीन सिटी-1, कालोनी, निकट गंगाधाम कालोनी,
गंगा नगर, मेरठ।

अन्तिम अनुस्मारक-पत्र

विषय:- तलपट मानचित्र संख्या: 03/07 गंगा ग्रीन सिटी कालोनी के अन्तर्गत आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष रखी गई बैंक गारन्टियों को नवीनीकृत कराकर प्रस्तुत न करने कारण रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है आपके द्वारा गंगा ग्रीन सिटी कालोनी के तलपट मानचित्र संख्या: 03/07 की स्वीकृति के समय आन्तरिक विकास कार्यों की लागत रु0 33,67,800/- के सापेक्ष पंजाब नेशनल बैंक, मोदीपुरम, मेरठ शाखा की बैंक गारन्टी संख्या: ILG 107/2007 दिनांक: 12.05.2007 धनांक: रु0 15,00,000/- तथा बैंक गारन्टी संख्या: R-8208/2007 दिनांक: 10.05.2007 धनांक रु0 18,67,800/- कुल धनराशि रु0 33,67,800/- की समयावधि क्रमशः दिनांक: 11.05.2008 व दिनांक: 09.05.2008 को समाप्त हो चुकी है। उक्त बैंक गारन्टियों को नवीनीकृत कराकर प्रस्तुत करने हेतु आपको पत्र संख्या: 276/मा0 अनु0/(जोन-डी) मयंक/09 दिनांक: 18.04.09, पत्र संख्या: 566/मा0 अनु0/(जोन-डी) मयंक/09 दिनांक: 03.07.09, पत्र संख्या: 743//09/मा0 अनु0/(जोन-डी) मयंक/09 दिनांक: 11.08.09, पत्र संख्या: 2276/मा0 अनु0/(जोन-डी) मयंक/10 दिनांक: 20.04.10 एवं पत्र संख्या: 2497/मा0 अनु0/(जोन-डी) मयंक/09 दिनांक: 21.05.10 के द्वारा सूचित किया जा चुका है, किन्तु आप द्वारा अभी तक उक्त बैंक गारन्टियों को नवीनीकृत कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। आपके द्वारा उक्त कालोनी का अद्यतन तक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः आपको इस अन्तिम अनुस्मारक पत्र के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा उक्त बैंक गारन्टियों को नवीनीकृत कराकर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में करने हेतु रिकवरी सर्टिफिकेट (आर0सी0) जिलाधिकारी, मेरठ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी हागी।

13/12/19
प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, मोदीपुरम, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि मेरठ विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना उक्त बैंक गारन्टी की धनराशि अवमुक्त न की जाये।

13/12/19

13/12/19
प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

7243/RC
08/01/19

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1223/मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/19
सेवा में,

दिनांक : 07 01 :2019

मै0 मणि एन्टरप्राइजेज द्वारा,
अतुल गुप्ता आदि,
ए-310 मेरठ माल, दिल्ली रोड
मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार गंगा सागर कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 15/13 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनैस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जंमनादेव-जोन-डी
सादर सेवा में
मेरठ विकास प्राधिकरण
08-01-19

08/01/19
प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 2667 / मानचित्र जोन डी, / 19

दिनांक 25-7-19

सेवा में

श्री अतुल गुप्ता (डायरेक्टर),
मै0 मणि एन्टर प्राइजेज,
ए-310 मेरठ मॉल मेरठ।

विषय:- गंगा सागर कालोनी के तलपट मानचित्र संख्या 14/04 मे आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक गंगासागर कालोनी के निवासी श्री शरद द्वारा गंगा सागर मवाना रोड मेरठ पर जनसुनवाई में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण न करने कालोनी को हस्तान्तरण न करने की शिकायत की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त कालोनी का आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त कर कालोनी को नगर निगम मेरठ को हस्तान्तरण कराना सुनिश्चित करे। अन्यथा आपके तलपट मानचित्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

25/7/19

C. K. Gaur
25/07/19
सहायक
मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 965 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18
सेवा में,

दिनांक : 24/12/2018

मै0 गंगा एन्टरप्राइजेज,
ए-310 मेरठ मॉल, दिल्ली रोड,
मेरठ।

द्वारा श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री धर्मदास,
नि0 39/16 शिवाजी रोड, मेरठ।


विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार गंगा वाटिका के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 28/10 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

24/12/18

24/12/18

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1077 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18
सेवा में,

दिनांक : 27 :12 :2018


मौ0 अजीमुल्ला (मुख्तारेआम),
पुत्र श्री मजरउल्ला,
नि0-305 बेगमबाग, मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार बेगमबाग (करोली रोड) के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 02/2015 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।


आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लेटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


28/12/18


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 969 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी)/18

दिनांक : 24 :12 :2018

सेवा में,

गेटवे ग्लोबल बिल्डर प्रा0 लि0,
द्वारा-मैनिजग डायरेक्टर श्री देवेन्द्र ढीगरा,
नि0-ए-64 गुरु नानक पुरा,
मोदीनगर जिला गाजियाबाद।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार गोल्फ ग्रीन,
के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 09/16 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

उपाध्यक्ष
प्रभारी विकास प्राधिकरण
उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ

विकास

6936/RC
28/12/18

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: 1077 / मानचित्र-अनु0(जोन-डी) / 18

दिनांक : 27 : 12 : 2018

सेवा में,

मौ0 अजीमुल्ला (मुख्तारेआम),

पुत्र श्री मजरउल्ला,

नि0-305 बेगमबाग, मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार बेगमबाग (करोली रोड) के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 02/2015 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यों यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लेटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त - जोन-डी

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
प्रतिलिपि

उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/12/18
प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

320

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 641/मानचित्र अज्ञो-जो-वो-18

दिनांक : 21/04/18

सेवा में,

मै0 देवा एसोसिएट्स द्वारा श्री विकास जैन,
निवासी-100डी, साकेत,
मेरठ।


विषय :- तलपट मानचित्र संख्या 02/2007 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्राधिकरण में नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यो को संतोषजनक स्थिति में किये जाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः आपको अन्तिम बार अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 10 कार्यदिवस के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


21-4-18


प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: 877/ भावक उच्च जोन बी/18

दिनांक : 24/04/18

सेवा में, श्री शिव प्रमोसिप्टल इला जे अथ प्रकाश अग्रवाल

271, अखु वोन

मेरठ


विषय :- तलपट मानचित्र संख्या 25/10 नब्द बाटिका के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्राधिकरण में नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य को संतोषजनक स्थिति में किये जाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः आपको अन्तिम बार अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 10 कार्यदिवस के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


24.4.18


प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1000 / मानचित्र-अनु0(जोन-बी)/18

दिनांक: 24/12/2018

सेवा में,

श्री रिछपाल सिंह
निवासी-अनूप नगर, फाजलपुर,
रोहटा रोड, मेरठ।

24/12/18
4.5 PM


विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार विकास गार्डन के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 01/08 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में सूचित पत्र संख्या: 901/मा0अनु0/जोन-बी दिनांक: 24.04.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्य यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


24/12/18


प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: 993/मानचित्र कल/जोन बी/18

दिनांक : 02/05/2018

सेवा में,

श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री अगमान दास

निवासी - झोला बंद

रोडवा रोड, मेरठ

विषय:- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार झोला बंद रोडवा रोड कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0-19/07 के सम्पुर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार कोई आवेदन नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यों को संतोषजनक स्थिति में करते हुए सम्पुर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें एवं आन्तरिक विकास कार्यों हेतु नवीनीकृत बैंक गारन्टी धनांक 45,30,500/- मात्र जो कि से. बैंक मेरठ बैंक के द्वारा निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 05-06-09 तक थी, को नवीनीकृत कराकर अविलम्ब कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अतः आपको अन्तिम बार निर्देशित किया जाता है कि अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत आप दिनांक 16.5.18 तक स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में निर्धारित समयवधि उपरान्त आपके कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यों का व्ययानुमान तैयार कराकर आंकलित धनराशि को भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल करते हुए प्राप्त धनराशि से प्राधिकरण स्वयं अपने स्तर से आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण करायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

3/5-18

प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: १०४/मानचित्र अग्रह योजना-को/१४

दिनांक : २५/०५/१४

सेवा में,

श्री योगेश्वर शाणा व अन्य
निवासी - ४१, श्रीराम पलेस
टोल्ल रोड
मेरठ

विषय :- तलपट मानचित्र संख्या ०७/०५ के सम्पूति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्राधिकरण में नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य को संतोषजनक स्थिति में किये जाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः आपको अन्तिम बार अनुबन्ध 1 धाराओं के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 10 कार्यदिवस के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 913/मानचित्र प्रमाण पत्र-04/18

दिनांक : 24/04/18

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव
- मुख्य - 54 सहायक प्रशासक
मानचित्र विभाग
नि. 9.12, इ. प्र. मेरठ


विषय :- तलपट मानचित्र संख्या 189/91 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्राधिकरण में नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य को संतोषजनक स्थिति में किये जाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः आपको अन्तिम बार अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 10 कार्यदिवस के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


28.4.18


प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

484

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 9425/10 / मानचित्र अनु0 (जोन बी) / 2010

दिनांक :- 05/5/10

प्रेषक,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

अध्यक्ष इन्डियन स्टेट सहकारी
आवास समिति लि०
465, पश्चिम जगत, मेरठ।

विषय:- मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 2/96 के पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि इन्डियन स्टेट II शरीर रोड के समीप 6.7100-22 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय कालोनी का तलपट मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.6.2000 को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत तलपट मानचित्र की एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार आपके द्वारा वर्षों में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराया जाना था। उपरोक्त समयावधि समाप्त हो चुकी है। आप द्वारा उक्त कालोनी के अन्दर अधिकांशतः भूखण्ड/भवन विक्रय किये जा चुके हैं। उक्त कालोनी के सम्बन्ध में भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु कालोनी से सम्बन्धित सूचनायें/विवरण तलपट मानचित्र में दर्शाते हुए विकास प्राधिकरण में 15 दिन के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय


सचिव,

मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ।

SK



मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक : 334 / सी-345 /

दिनांक : 26-9-18

सेवा में,

सचिव

निशात गार्डन सहकारी आवास समिति लि०

प्रथम-शॉपिंग काम्प्लैक्स

विवेक विहार कालोनी, रूडकी रोड, पी०एस०सी० के सामने,

मेरठ।


विषय:- तलपट मानचित्र संख्या: 144/87 के सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सम्पूर्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने आवेदन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा कालोनी के अन्दर अन्तर्गत समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने व निर्धारित प्रारूप पर भरकर सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र का आवेदन करने का उल्लेख किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप अपूर्ण व आर्किटेक्ट के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये है तथा मानचित्र भी प्रस्तुत नहीं होने के कारण विचारणीय नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि एक सप्ताह के अन्दर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए आवेदन करने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त न होने पर पूर्व में किये गये अपूर्ण आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।


27-9-18


प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

573

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक/6/6/11/मा०अनु०/(जोन-)/11 दिनांक 02/11/2011

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री श्री गुरु मठवाली विकास प्राधिकरण लि.
R/o 112/12 आवासीय भवन, जग रोड, मेरठ

विषय: उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 क(1) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आपका/मानचित्र सं. 177/89 खसरा सं. /भूखण्ड सं./ग्राम/कालोनी पर आवासीय/व्यवसायिक/संस्थागत प्रयोजनार्थ दिनांक को अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि "प्राधिकरण से अध्यासन (औक्यूपेन्सी) के पूर्व पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (औक्यूपायी) करेंगे।" आप द्वारा अपने भवन को अध्यासित कर लिया गया है परन्तु आज दिनांक 25.6.2011 तक प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राधिकरण से प्राप्त नहीं किया गया है। उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित 1997) की धारा-15 क(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भवन को न तो अध्यासित करेगा अथवा न किसी को अध्यासित करने की अनुमति देगा अथवा ऐसे भवन अथवा उसके भाग का न किसी को उपयोग करने की अनुमति करेगा जब तक कि पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी न कर दिया जाय।

अतः आप उपरोक्त भवन का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राधिकरण से दिनांक 20.7.2011 तक नियमानुसार आवेदन कर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित 1997) की धारा-15 के अन्तर्गत आपके लघु मानचित्र पर नियमानुसार कार्रवाई कर दी जायेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

भवदीय,

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: ७१५/मानचित्र ४१९७ जेब-वी/१४

दिनांक : २५/०५/१४

सेवा में,

.....


विषय :- तलपट मानचित्र संख्या 113/09 के सम्पुर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
 महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्राधिकरण में नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य को संतोषजनक स्थिति में किये जाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः आपको अन्तिम बार अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 10 कार्यदिवस के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


 25.5.14


 प्रभारी मानचित्र
 मेरठ विकास प्राधिकरण,
 मेरठ।

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: १०१/अन्योन्य अखण्ड जी.न.वी/१८

दिनांक : २५/०५/१८

१७६

सेवा में,

शान्ति नगर सहकारी आवास समिति लि० द्वारा श्री
 महेश चंद्र सचिव विन्डरोरथा पार्क
 निवासी-०१, प्रोफेसर कालोनी मेरठ

विषय :- तलपट मानचित्र संख्या ०१/१७ के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
 महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्राधिकरण में नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यों को संतोषजनक स्थिति में किये जाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः आपको अन्तिम बार अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 10 कार्यदिवस के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


 25.5.18


 प्रभारी मानचित्र
 मेरठ विकास प्राधिकरण,
 मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 4321/मानचित्र-अनुबन्ध-व.सी/18

दिनांक : 20/4/18

सेवा में,


मै० तिरुपति बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स
श्री तेजराम पुत्र श्री राम आदि,
निवासी-396, वेस्टर्न कचहरी रोड,
मेरठ।


विषय :- तलपट मानचित्र संख्या 09/2000 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्राधिकरण में नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यों को संतोषजनक स्थिति में किये जाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः आपको अन्तिम बार अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 10 कार्यदिवस के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


24.4.18


प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1059 / मानचित्र-अनु0(जोन-बी)/18

दिनांक: 27-12-2018

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव

न्यू फ्रेंड्स सहकारी आवास समिति लि०

निवासी-912, श्रद्धापुरी

मेरठ।

विषय: उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार न्यू फ्रेंड्स कालोनी-I मेरठ के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं० 178/89 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में सूचित पत्र संख्या: 914/मा०अनु०/जोन-बी/18 दिनांक: 24.04.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एप्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (e) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव क्रिये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लेटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ० प्र० अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

27/12/18

भवदीय,

27/12/18

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

27/12/18
प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

27/12/18
प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

27/12/18

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 814/मानचित्र अनु० जोब नं०/18

दिनांक : 19/04/2018

सेवा में,

श्री विजय पाल यादव,
पीओए श्री जयप्रकाश,
निवासी-कृष्णा प्लाजा, तेजगढ़ी,
गढ़ रोड़, मेरठ।


विषय :- तलपट मानचित्र संख्या 05/2000 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्राधिकरण में नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यों को संतोषजनक स्थिति में किये जाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः आपको अन्तिम बार अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 10 कार्यदिवस के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


20.4.18


प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 3574 / जा-२२३/जो-१-१८

दिनांक : 29/11/2019

अनुस्मारक-पत्र

सेवा में,

श्री नरेश कुमार मित्तल
द्वारा मैसर्स इण्डस वैली प्रमोटर्स
रेम्बो चैम्बर, पी०एल० शर्मा रोड,
मेरठ।

विषय :- तलपट मानचित्र संख्या 21/2000 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्राधिकरण में नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यों को संतोषजनक स्थिति में किये जाने हेतु पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या: 1004/मानचित्र-अनु०(जोन-बी)/19 दिनांक: 24.12.2018 एवं पत्र संख्या: 818/मानचित्र अनु० जोन-बी/18 दिनांक: 19.04.2018 व पत्रांक: 2748/मा०अनु०/जोन-बी/एस.के.अवस्थी दिनांक: 06.08.2019 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती जा रही है और न ही कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपको अन्तिम बार अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 10 कार्यदिवस के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

Ghanshu
25/11/19

प्रभारी मानचित्र

मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ।

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, आर.के. रेजीडेन्ट्स वैलफेयर सोसायटी, राजनकुंज, मेरठ को सूचनार्थ।

Ghanshu
25/11/19

प्रभारी मानचित्र

मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, 518 मेरठ।

पत्रांक: 311 / मानचित्र-अनु0(जोन-बी)/18 दिनांक : 22: 09 : 2018

प्रेषक,

प्रभारी मानचित्र, जोन-बी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

अनुस्मारक

मै0 श्रीनाथ डवलपर्स एण्ड प्रमोटर्स,
द्वारा श्री श्याम सुन्दर यादव,
निवासी- 14, वृन्दावन गार्डन द्वितीय तल,
रूड़की रोड़, मेरठ।

विषय: ग्रेटर अप्पू एन्क्लेव एक्स0 कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 29/06 के आन्तरिक विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा ~~स्मिथर-सिटी~~ ^{ग्रेटर अप्पू एन्क्लेव एक्स0} कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 29/06 के अनुबंध की शर्तों के अनुसार विकास कार्य पूर्ण कर कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है और न ही कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित की गयी है। प्राधिकरण में प्राप्त विभिन्न शिकायतों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा कालोनी के अन्दर क्षतिग्रस्त/अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों का आगणन तैयार कराया गया जो धनांक रू0 11,19,500/- है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण कार्यालय के पत्रांक 1666/मानचित्र अनु0/जोन-बी दिनांक 09-07-18 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें परन्तु आप द्वारा अभी तक आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करते हुए अधोहस्तक्षरी को अवगत नहीं कराया गया है।

अतः आपको अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि कालोनी के क्षतिग्रस्त/अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों को 15 दिन में पूर्ण कर प्राधिकरण से नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आगणित धनराशि रू0 11,19,500/- को भू-राजस्व की भाँति वसूली हेतु आर0सी0 जारी कर दी जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय,


24.9.18



प्रभारी मानचित्र, जोन-बी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 209/मा-कन/मोठ-13

दिनांक : 14-3-2021

सेवा में,

मैसर्स कोर बिल्डर्स प्रा0लि0
द्वारा श्री सुनील त्यागी,
निवासी-242, आबू प्लाजा आबूलेन,
मेरठ।

विषय:- क्वींस लैण्ड पार्क कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या: 14/03 के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि आप द्वारा क्वींस लैण्ड पार्क कालोनी का तलपट मानचित्र संख्या: 14/03 प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया है। स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित की जानी थी, किन्तु आप द्वारा कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित नहीं किया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण में निरन्तर विभिन्न शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त के सम्बन्ध में आपको कार्यालय के पत्र संख्या: 816/मा0अनु0/जोन-बी दिनांक: 19.04.2018, पत्र संख्या: 1670/मा0अनु0/जोन-बी दिनांक: 09.07.2018, पत्र संख्या: 320/मा0अनु0/जोन-बी दिनांक: 24.09.2018, पत्र संख्या: 787/मा0अनु0/जोन-बी दिनांक: 03.12.2018, पत्र संख्या: 1369/मा0अनु0/जोन-बी दिनांक: 25.01.2019 प्रेषित किये गये हैं, किन्तु आप द्वारा अभी तक कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित नहीं की गयी है।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि उक्त कालोनी के क्षतिग्रस्त एवं अवशेष आन्तरिक विकास कार्य को पूर्ण कर प्राधिकरण से नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

22/3/21

G/Handwritten
18/03/2021
प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ (28)

पत्रांक: 473 / मानचित्र-अनु0(जोन-बी)/18
प्रेषक:

दिनांक : 12: 03:2018

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

मै0 सिटी बिल्डकोन
द्वारा श्री अनुराग गुप्ता (पार्टनर),
निवासी-भारत प्लाजा काम्प्लेक्स,
गढ़ रोड, मेरठ।

पुनः प्रेषित -

14-3-18

R/056/9-पंचशील कालोनी-
शली बॉं 9, निकट भारत
प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ

विषय: सनराईज एनकलेव के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या-1200/06 में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने तलपट मानचित्र संख्या-1200/06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसे प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05-02-2008 को स्वीकृत किया गया था। आप द्वारा आज्ञा पत्र की शर्त सं0 9 के अनुपालन में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु भी आवेदन नहीं किया गया है।

अतः आप कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराकर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय

सचिव,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि-श्री राजेन्द्र अग्रवाल, सांसद महोदय निवासी-135, चाणक्यपुरी, शास्त्री नगर, मेरठ 250004 को पत्रांक :मे-83/18 दिनांक 30-01-2018 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।9
12/3/18

9

9

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 813/मानचित्र अनु. जे. व. 18

दिनांक : 19/4/18

सेवा में,

श्री स्वतन्त्रपाल सिंह आदि द्वारा श्री सुनीत राजवंशी,
निवासी-166, रौशनपुर डौरली, रूड़की रोड,
मेरठ।


विषय :- तलपट मानचित्र संख्या 18/2001 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्राधिकरण में नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यो को संतोषजनक स्थिति में किये जाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः आपको अन्तिम बार अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 10 कार्यदिवस के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


20.4.18


प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: 1126 / मानचित्र-अनु0(जोन-बी)/18

दिनांक: 29/12/2018

सेवा में,

श्री किशन लाल आदि
मुख्तारेआम श्री अनुराग गुप्ता,
निवासी-56/09, पंचशील कालोनी,
~~उत्तर~~ नई सड़क के सामने,
सम्राट स्वीटस वाली गली,
गढ़ रोड, मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार ग्रीन सिटी कालोनी, मेरठ के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 13/03 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में सूचित पत्र संख्या: 827/मा0अनु0/जोन-बी दिनांक: 06.12.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/12/18
प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

29/12/18
प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, 143 मेरठ।

पत्रांक: 812/मानचित्र अनु. जेन-वै/18

दिनांक : 19/4/18

सेवा में,

श्री सुभाष चन्द आदि मुख्तयारेआम द्वारा
पीओए श्री प्रदीप बंसल आदि,
निवासी-भारत प्लाजा काम्पलैक्स,
गढ़ रोड़, मेरठ।

विषय :- तलपट मानचित्र संख्या 15/2001 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्राधिकरण में नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यो को संतोषजनक स्थिति में किये जाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः आपको अन्तिम बार अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 10 कार्यदिवस के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

[Handwritten Signature]
20.4.18

[Handwritten Signature]
19/4/18
प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: १५३ / मानचित्र-अनु०(जोन-४) / 18
सेवा में,

दिनांक : 24/12/2018

श्री रविन्द्र पाल सिंह,
पी०ओ०ए० जगपाल सिंह,
नि०-एफ-16, शास्त्रीनगर,
मेरठ।


विषय: उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार अप्पू एनकलेव कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं० 03/2002 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ० प्र० अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उप्राध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


24/12/18


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 9422/10 / मानचित्र अनु0 (जोन बी) / 2010

दिनांक :- 05/5/10

प्रेषक,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री अमृताग गुप्ता

पार्टनर श्री श्यामलिंग शर्मा

प्लान्स इन्डियन लि. 5/6 पंचशील रोड रोड मेरठ।

विषय:- मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 9/02 के पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आनन्द लाल [I] शर्मा रोड मेरठ रोड के समीप 66.30.2.00 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय कालोनी का तलपट मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.10.2004 को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत तलपट मानचित्र की एग्जीक्यूटिव की शर्तों के अनुसार आपके द्वारा तीन वर्षों में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराया जाना था। उपरोक्त समयावधि समाप्त हो चुकी है। आप द्वारा उक्त कालोनी के अन्दर अधिकांशतः भूखण्ड/भवन विक्रय किये जा चुके हैं। उक्त कालोनी के सम्बन्ध में भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु कालोनी से सम्बन्धित सूचनायें/विवरण तलपट मानचित्र में दर्शाते हुए विकास प्राधिकरण में 15 दिन के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय



मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



1738/16
19-7-16

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 979/16 / मानचित्र अनु0 जोन बी / 2016

दिनांक :- 18/7/16

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री अनुराग गुप्ता एवं श्री सुभाष चन्द,
56 पंचशील कालोनी,
गढ रोड, मेरठ।

विषय:- प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कालोनी का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं स्वीकृत कालोनी को नगर निगम मेरठ को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी-मानचित्र जोन-बी के पत्रांक संख्या 05/मा0अनु0 जोन-बी/2016 दिनांक 21.3.16 एवं अनुस्मारक पत्रांक संख्या 05 दिनांक 06.6.16 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सनसिटी कालोनी, रूडकी रोड, मेरठ स्थित के समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु आप द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि आप द्वारा तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय किये गये अनुबन्ध का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः अन्तिम रूप से आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कालोनी के समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करते हुए प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित कर मेरठ विकास प्राधिकरण को अवगत करायें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अधीन कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

- प्रतिलिपि:-
1. मा0 सत्य प्रकाश अग्रवाल, विधायक मेरठ कैंन्ट (उत्तर प्रदेश) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।
 3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

प्रभारी भाग 16

25/7/16
JAP

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 507 / मानचित्र-अनु0(जोन-बी)/18
 प्रेषक,

दिनांक : 17 :10 :2018

प्रभारी मानचित्र जोन-बी
 मेरठ विकास प्राधिकरण,
 मेरठ।

अनुस्मारक

सेवा में,

श्री राजीव गुप्ता
 पुत्र श्री नन्द किशोर,
 निवासी-214ए, गंज बाजार,
 मेरठ कैण्ट।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार रोशनपुर डौरली के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 04/2003 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर सभी विकास कार्यो सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार कोई आज दिनांक तक आवेदन नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यो को संतोषजनक स्थिति में करते हुए सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी पत्रांक 2424/मान0-अनु0/जोन-बी/10 दिनांक 05-05-10, पत्रांक 1493/मान0-अनु0/जोन-बी/11 दिनांक 10-06-11 एवं पत्रांक 837/मान0-अनु0/जोन-बी/18 दिनांक 21-04-18 द्वारा सूचित किया जा चुका है परन्तु आपके द्वारा उक्त कार्य में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः आपको अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यो सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पुर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें, अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

21/10/18

प्रभारी अधिकारी,
 मेरठ विकास प्राधिकरण,
 मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 826/भान.उत्तर.जो.वी।18

दिनांक : 06/12/18

सेवा में,

अनुस्मारक-पत्र

मैसर्स सत्यम एसोसिएट्स,
द्वारा श्री रविन्द्र पाल सिंह,
निवासी-ए-134, डिफेंस कालोनी,
मेरठ।

विषय:- 2070 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार उदय पाल कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 27/06 के सम्पूति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदोपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर सभी विकास कार्य सीवर, वाटर, लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार कोई आज दिनांक तक आवेदन नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य को संतोषजनक स्थिति में करते हुए सम्पूति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित विकास कार्य को संतोषजनक स्थिति में करते हुए सम्पूति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्य सीवर, वाटर, लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें, अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: १३१/भी-२०१/भी-१-०

दिनांक : २६-५-७८

सेवा में,

उद्योग वित्त एवं आवास विभाग, मेरठ
 उद्योग वित्त एवं आवास विभाग, मेरठ
 16, निलाक रोड, वसन्त बाजार, मेरठ।


विषय:- उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार राजकमल पार्क कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं०-11/०६ के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार कोई आवेदन नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यों को संतोषजनक स्थिति में करते हुए सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें एवं आन्तरिक विकास कार्यों हेतु नवीनीकृत बैंक गारन्टी धनांक 1732155-00 मात्र जो कि 85-69/2006 बैंक के द्वारा निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 20-8-2006 तक थी, को नवीनीकृत कराकर अविलम्ब कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अतः आपको अन्तिम बार निर्देशित किया जाता है कि अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत आप दिनांक 5-5-78 तक स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में निर्धारित समयावधि उपरान्त आपके कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यों का व्ययानुमान तैयार कराकर आंकलित धनराशि को भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल करते हुए प्राप्त धनराशि से प्राधिकरण स्वयं अपने स्तर से आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण करायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


26/5/78


प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: ११७ / मानचित्र-अनु०(जोन-बी)/१८

दिनांक: २५/१२/२०१८

सेवा में,

श्री विकास जैन,
पुत्र श्री वकील चन्द जैन,
निवासी-१०० डी, साकेत,
मेरठ।


विषय: उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा-१५क(१) के अनुसार देव धाम, कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं० २०/०७ के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में सूचित पत्र संख्या: ३२१/मा०अनु०/जोन-बी/१८ दिनांक: २४.०९.१८ एवं पत्र संख्या: १८५/मा०अनु०/जोन-बी/१८ दिनांक: ०३.१२.१८ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा १(अ), (ब) व (ग) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से ०३ वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।


आप अवगत है कि वर्तमान में उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट-२०१० एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के १५ दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ० प्र० अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-२०१० की धारा-१४(२) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को १५ दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


२५/१२/१८


प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: ९१५ / मानचित्र-अनु०(जोन-४)/१८

दिनांक : २५/१२/२०१८

सेवा में,

मै० गॉडविन कान्सल्ट्रक्शन कं०,
द्वारा श्री जितेन्द्र बाजवा,
नि०-ए-१५१, डिफेंस कालोनी,
मेरठ।


विषय: उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा-१५क(१) के अनुसार गोल्डन एवेन्यू का कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं० १६/०३ के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्र सं० ६९८/मान०अनु० जोन-बी/२०१८ दिनांक ०९.०४.१८ एवं पत्र सं० ४९८/मान०अनु० जोन-बी/२०१८ दिनांक १५.१०.१८ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा १(अ), (ब) व (ग) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि-से ०३ वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।


आप अवगत है कि वर्तमान में उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट-२०१० एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के १५ दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लेटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ० प्र० अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सल्ट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-२०१० की धारा-१४(२) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को १५ दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


२५/१२/१८


प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 2013/मान.अनु.जोन-बी/18

दिनांक : 04/12/18

सेवा में,

अनुस्मारक-पत्र

मैसर्स टी0आर0ए0 डवलपर्स प्रा0लि0,
द्वारा श्री संजय गर्ग,
निवासी-आनन्द निकेतन, रूडकी रोड,
मेरठ।

विषय:-स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या: 23/07 आनन्द निकेतन, कालोनी के पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्वकीय प्रार्थना पत्र दिनांक: 05.10.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा स्थल पर बन्धक भूखण्ड को अवमुक्त कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक: 2013/मानचित्र अनु0 जोन-बी218 दिनांक: 21.08.2018 द्वारा नियमानुसार आवेदन करने हेतु सूचित किया गया था, परन्तु आप द्वारा अद्यतन तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप कृपया आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करते हुए नगर निगम, मेरठ को कालोनी हस्तान्तरित करने का कष्ट करें। उसके उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा बन्धक भूखण्ड को अवमुक्त किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या: 1675/मान0अनु0 जोन-बी दिनांक: 09.07.2018 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था।

प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक : ४३/आवक-३६७०/जेन-०१/१४

दिनांक : २९/०८/१४

सेवा में,

श्रीमति मन्जू सिंह पत्नी स्व० श्री तेजपाल सिंह
निवासी-176, नन्दन गार्डन,
वेस्टर्न कचहरी रोड,
मेरठ।

विषय:- तलपट मानचित्र संख्या: 07/2003 जगदीशपुरम मेरठ के सम्पूर्ति प्रमाण के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया श्री अजय कुमार मान (एडवोकेट) के पत्र दिनांक: 02.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि तलपट मानचित्र संख्या: 07/2003 जगदीशपुरम, मेरठ कालोनी का रख-रखाव नगर निगम, मेरठ द्वारा किया जा रहा है। जोकि समस्त औपचारिकता पूर्ण करने के बाद ही नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि आपके पति की मृत्यु हो जाने के कारण आपके पास कोई कागजात नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तलपट मानचित्र संख्या: 07/2003 दिनांक: 31.07.2003 के स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या: 10 में यह उल्लेख है कि प्राधिकरण के अध्यासन (औक्यूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (औक्यूपायी) करेगे व कालोनी को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरण करना होगा। विकासकर्ता द्वारा कालोनी का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त नहीं किया गया है। कालोनी यदि नगर निगम को या गठित आर०डब्लू०ए० को आपके द्वारा/स्व० श्री तेजपाल सिंह द्वारा हस्तान्तरित कराने कोई साक्ष्य हो तो अवगत कराने का कष्ट करें।

२९/०८-१४

२९/०८/१४
प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: १९९ / मानचित्र-अनु०(जोन-बी)/१८

दिनांक: २५/१२/२०१८

सेवा में,

श्री अनिल कुमार व श्री सतेन्द्र सिंह,
द्वारा रॉयल पार्क, प्रमोटर्स,
निवासी-पल्लवपुरम फेस-१
मेरठ।

विषय: उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा-१५क(१) के अनुसार रॉयल पार्क, पल्लवपुरम, मेरठ के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं० १५/०७ के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में सूचित पत्र संख्या: ९०७/मा०अनु०/जोन-बी/१८ दिनांक: २४.०४.१८ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा १(अ), (ब) व (ग) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से ०३ वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट-२०१० एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के १५ दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ० प्र० अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनैस) एक्ट-२०१० की धारा-१४(२) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को १५ दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:— उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

24/12/18

प्रभारी मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

123

पत्रांक: 957 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18

दिनांक : 21 :12 :2018

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार,
पुत्र श्री रमेश,
नि0-ग्राम बाजौट,
मेरठ।


विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार जामिया रेजीडेंसी कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 38/13 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 822/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक 20.04.18 एवं पत्र सं0 452/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक 10.10.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।


आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1185 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18
सेवा में,

दिनांक : 05 : 01 : 2019

श्री योगेश कुमार गोयल,
पुत्र स्व० श्री देवेन्द्र कुमार गोयल,
निवासी- 64 श्रीराम पैलेस, दिल्ली रोड,
मेरठ।

विषय: उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार श्याम विहार कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं० 06/10 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ० प्र० अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटिनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।




भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1187 /मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18
सेवा.में,

दिनांक : ०५ : ०) : 201 9

- मै0 एडल लैंडमार्क लि0,
द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री आशीष खटाना,
मुख्य कार्यालय-सी-56/41, सेक्टर-62,
नोयडा 201303

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार गार्डेनिया एस्टेट कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 10/09 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 1212/मान0अनु0 जोन-ए/2017 दिनांक 27.11.17, पत्र सं0 982/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक 01.05.18 एवं पत्र सं0 1983/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक 18.08.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेरीयल) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।



भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1517/2100 अगुओएए/18
सेवा में,

दिनांक : 23-6-18

मै० प्रोव्यू रिषभ इन्फ्रा० प्रा० लि०,
निवासी-ग्राण्डे, बिजली बम्बा बाईपास रोड,
मेरठ।

विषय:- उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र सं०-1329/12 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेन्ट के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा अवधि के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना था।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार कोई आवेदन नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यों को संतोषजनक स्थिति में करते हुए सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में निर्धारित समयावधि उपरान्त प्राधिकरण द्वारा स्थल निरीक्षण कराकर अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों में होने वाले व्यय का आंकलन कर सम्पूर्ण देयता ब्याज सहित अधिनियम की धारा-40 के अन्तर्गत भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल करते हुए प्राप्त धनराशि से प्राधिकरण स्वयं अपने स्तर से आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण करायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


23-6-18


प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।


22-6-18
J.E.

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

क्रमांक: 1/86 /मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18
सेवा में,

दिनांक : 05 : 0/201

कृ० मणिका अग्रवाल,
4 विजय नगर,
मेरठ।

विषय: उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार सारस्वती लोक कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं० 01/04 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्र सं० 454/मान०अनु० जोन-ए/2018 दिनांक 10.10.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लेटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ० प्र० अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।



भवदीय,



प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 955 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18

दिनांक : 21/12/2018

सेवा में,

श्री महेश कुमार त्यागी,
एवं श्री दिनेश कुमार त्यागी,
नि0-176डी, साकेत,
मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार तेजपाल सिंह एन्क्लेव कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 08/99 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्रांक सं0 456/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक 10.10.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपको समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण होने तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:— उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 954 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18

दिनांक : 21 :12 :2018

सेवा में,

श्री जय प्रकाश अग्रवाल,
नि0-271/1, आबूलेन,
मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार द्वारिकापुरी (एक्स0) कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 40/05 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व प्रेषित पत्रांक सं0 917/मान0अनु0 जोन-ए/18 दिनांक 24.04.18 एवं पत्र सं0 457/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक 10.10.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपको समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण होने तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी से निकल रहे कूड़ा सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 2-12-18

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten signature]
21/12/18
प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

[Handwritten signature]
प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 958 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18

दिनांक : 2 / 12 :2018

सेवा में,

श्री महेश कुमार त्यागी,
पुत्र स्व0 श्री तेजपाल सिंह त्यागी,
नि0-216, शंकरकुटी, सूरजकुंड रोड,
मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार तेजपाल सिंह एनकलेव (एक्स0) कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 24/06 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 1153/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक 17.05.18 एवं पत्र सं0 157/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक 07.09.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एप्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लेटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1247/आन० अगु० जोन 13/18
सेवा में,

दिनांक : 26-5-18

श्री निपुल गोयल व श्री नकुल अग्रवाल,
निवासी-136, गांधी मार्ग, दिल्ली गेट,
मेरठ।


विषय:- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार श्याम एन्कलेव (एक्स0) कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0-08/07 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र की स्वीकृति दिनांक 25.01.2008 से 24.01.2013 तक के लिए प्रदान की गयी थी। मानचित्र की समयसीमा पूर्ण होने के कारण प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जाना है। तदुपरान्त योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रख-रखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आपके द्वारा नियमानुसार स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना था। सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति की एक प्रति सहित आपको योजना नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी, परन्तु आपके द्वारा इस प्रकार कोई आवेदन नहीं किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यों को संतोषजनक स्थिति में करते हुए सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्थल पर विकसित सभी विकास कार्यों, सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर संतोषजनक हालत में करते हुए मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में निर्धारित समयावधि उपरान्त प्राधिकरण द्वारा स्थल निरीक्षण कराकर अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों में होने वाले व्यय का आंकलन कर प्राप्त धनराशि को भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल करते हुए प्राप्त धनराशि से प्राधिकरण स्वयं अपने स्तर से आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण करायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


29/5/18


प्रभारी मानचित्र 26/05/18
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ। 01c


J.E.

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1189 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18
सेवा में,

दिनांक : 05 : 01 : 2019

मै0 रामा एन्टरप्राइजेज,
पार्टनर श्री प्रदीप शर्मा,
निवासी-ई-228, साकेत, निकट गोल मार्केट,
मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार
सूर्या पैलेस कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 187/99 के सम्पूर्ति प्रमाण
पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 746/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक
12.11.18 एवं पत्र सं0 1428/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक 12.06.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट
करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के
अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से
सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर
निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के
धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा
सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके,
सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित
करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों
का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0
प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के
अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी
कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका
समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, झूखे पेड़ पत्तियों
के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।




भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1186 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18

दिनांक : 05 : 01 : 2019

सेवा में,

श्री प्रेमनाथ मोंगा

द्वारा पी0ओ0ए0 श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा,
निवासी-ई-288, एमएल, जिकुड ब्लॉक मार्केट,
मेरठ। P-32 डिफेंस कॉलोनी।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार गार्डन ब्यू कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 14/02 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 1565/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक 29.06.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

11/11/19

प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

11/11/19

प्रभारी अधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 956 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18
सेवा में,

दिनांक : 21 :12 :2018

श्री जय प्रकाश अग्रवाल,
नि0-271/1, आबूलेन,
मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार द्वारिका पुरी कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 11/03 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 2280/मान0अनु0 जोन-ए/11 दिनांक 05.11.11 एवं पत्र सं0 453/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक 10.10.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेशा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/प्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के क्रम में आपसे यह भी अपेक्ष है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनैस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1181 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18
सेवा में,

दिनांक : 05/09/2019

श्री प्रदीप कुमार बंसल पुत्र श्री भगवत दयाल,
निवासी-ई-228, साकेत, निकट गोल मार्केट,
मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार राज कमल एनकलेव कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 08/2000 व 09/2001 (संशोधित) के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 1117/मान0अनु0 जोन-ए/2018 दिनांक 15.05.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

5/9/19

भवदीय,

5/9/19
प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5/9/19
प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1190 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18

दिनांक: 25/01/2019

सेवा में,

मै0 जैना कालोनाईजर्स प्रा0लि0,
डाय0 श्री दीपक जैन,
निवासी-साधना न्यू प्रेमपुरी, रेलवे रोड,
मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार
रायल एस्टेट कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 06/13 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है। आप द्वारा कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 12.07.18 को प्राप्त किया जा चुका है परन्तु कालोनी अभी तक नगर निगम को हस्तांतरित नहीं की गयी है। जिसे नगर निगम को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेट्रीनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

8/5/19

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1811 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए) / 19

दिनांक : 30.05.2019

शेवा में,

श्री जय प्रकाश अग्रवाल,
184 बी, आबूलेन, मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार मंगतपुरम कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 146/87 के सम्पूति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक ग्राम हाफिजाबाद, मेवला, मेरठ चके खसरा सं0 202, 214, 215 के क्षेत्रफल 81726.59 पर तलपट मानचित्र स्वीकृत किया गया था। स्वीकृति के समय निर्धारित शर्तें/औपचारिकताओं के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किया जाना आपका उत्तरदायित्व है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधीनस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन हेतु आपको पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है परन्तु आप द्वारा अभी तक आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं किये गये हैं। अतः आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण करते हुए यथाशीघ्र पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी।

भवदीय,

Alkaram's
30/05/19

प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Received
-Punna
3/4/19

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 159 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए) / 18 दिनांक : 07 : 09 : 2018

प्रेषक,,

प्रभारी मानचित्र. जोन-ए,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री मुकेश मोहन एवं श्रीमती जागेश्वरी,
निवासी- 162/7 शास्त्री नगर मेरठ।

विषय: गोल्फ ग्रीन रेजीडेंसी कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 08/14 के आन्तरिक विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा गोल्फ ग्रीन रेजीडेंसी कालोनी के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र सं0 08/14 के अनुबंध की शर्तों के अनुसार कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है और न ही कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित की गयी है। कालोनी का निरीक्षण कराकर कालोनी के क्षतिग्रस्त/अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों का प्राधिकरण द्वारा आगणन तैयार कराया गया है जो धनांक रू0 3,51,01,112/- का है।

अतः कालोनी के क्षतिग्रस्त/अवशेष आन्तरिक विकास कार्यों को दिनांक ...10.10.18 तक पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व की भाँति वसूली हेतु आर0सी0 जारी कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।


09.9.18

भवदीय,


प्रभारी मानचित्र. जोन-ए,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1191 / मानचित्र-अनु0(जोन-ए)/18
सेवा में,

दिनांक : 05/08/2019

एकमें विल्ड टैक(इं0) प्रा0 लि0,
द्वारा डाय0 श्री जय प्रकाश अग्रवाल,
271, आबूलेन, मेरठ।

विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार आर्चिड ग्रीन कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 22/11 के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सम्पादित एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि से 03 वर्ष के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय नगर निगम को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव किये जाने का उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः अनुबन्ध के धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास कार्यो यथा सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित करके, सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परियोजना के भूखंडों/फ्लैटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कान्सट्रक्शन, ओनरशिप एण्ड मेटेनेंस) एक्ट-2010 की धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार बनवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में निकल रहे कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

5701119

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1538/मानचित्र अनु0 (जोन बी)/2014

दिनांक :- 29-9-

सेवा में,

अन्तिम नोटिस

मै0 सत्यम एसोसिएट,
पार्टनर श्री रविन्द्रपाल सिंह,
निवासी ए-134 डिफेन्स कालोनी,
मवाना रोड, मेरठ।

विषय:- उ0प्र0 नगर नियोजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 क (1) के अ तलपट मानचित्र संख्या 21/08 उदय सिटी कालोनी का पूर्णता प्रमाण-पत्र सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 15.9.14 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, के सम्ब अवगत कराना है कि आप द्वारा उदय सिटी कालोनी का तलपट मानचित्र संख्या 21/08 प्राधिकरण से दिनांक 21.01.2010 को स्वीकृति के समय प्रस्तुत कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि पूर्ण करने की शर्त के साथ अनुबन्ध प्रस्तुत किया था। अ की शर्तों के अनुसार कालोनी का आन्तरिक विकास कार्य समयावधि समाप्त होने के पश्चात् नहीं कराकर कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त नहीं किया गया है, जो अ की शर्तों के विरुद्ध है।

अतः आप उक्त कालोनी का आन्तरिक विकास कार्यों को अविलम्ब पूर्ण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन करने का कष्ट करें, अन्यथा आपके तलपट मानचित्र संख्या 21/08 पर अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अ होगी।

(Handwritten signature)

भवदीय

मुख्य नगर निर्माजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।
0/0/0





मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मे

पत्रांक: 1127 / मानचित्र-अनु0(जोन-बी)/18

दिनांक: 29/12

सेवा में,

श्री राजकमल कन्सल्टिंग
द्वारा श्री प्रदीप बंसल आदि
निवासी-16, देव नगर, तिलक रोड,
मेरठ।


विषय: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(1) के अनुसार रेजीडेन्सी, कालोनी, मेरठ के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0 17/08 के सम्पूति प्रमाण सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में सूचित पत्र संख्या: 996/मा0अनु0/जोन-बी दिनांक: का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय एग्रीमेंट की धारा 1(a), (b) व (g) के अनुसार आपके द्वारा समस्त विकास कार्य अनुज्ञा तिथि के अन्दर पूर्ण करके, प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना स्थानीय निकाय न को हस्तांतरित करनी थी तथा नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण तक समस्त योजना का रखरखाव को उत्तरदायित्व आपका है।

आप अवगत है कि वर्तमान में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा प्रभावी है। अतः उ धाराओं के अन्तर्गत आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर समस्त विकास व सीवर, वाटर लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर मानचित्र पर दर्शित सम्पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत सुनिश्चित करें एवं जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परिभाषित भूखंडों/प्लॉटों का विक्रय विलेख निष्पादित न करें। शासन के निर्देशों के कम में आपसे यह है कि उ0 प्र0 अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कन्सल्टिंग, ओनरशिप एण्ड मेटेनेंस) एक्ट- धारा-14(2) के अन्तर्गत कालोनी में अध्यासियों की अपार्टमेंट ओनर एसोसियेशन नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करें अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्य स्वतंत्र होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त कालोनी में कूड़ा, सूखे पेड़ पत्तियों के अवशेष को राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के सहयोग से निस्तार सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्रा
मेरठ।

प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्रा

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पत्रांक: 620/ 1103/20/ जोन-बी/22 दिनांक 03-1

प्रेषक,
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,
मैसर्स त्रिलोकी डवलपर्स प्रा०लि०
द्वारा श्री विकास जैन
निवासी-100, साकेत मेरठ।

विषय :- स्वीकृत तलपट मानचित्र सं०-23/08 वैष्णो धाम कालोनी, बाई पास, मेरठ
समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपर
कॉलोनी आर०डब्ल्यू०ए०/नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया श्री अजय कुमार ओझा, उप सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन के संलग्न संख्या-एम-2/1224100-1224884/34-लो०शि०-1/2022 दिनांक 11.07.2022 के साथ सुखपाल सिंह तोमर, सचिव, वैष्णोधाम रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन, कंकर खेडा, मेरठ के मुख्यमंत्री महोदय को सम्बोधित शिकायती पत्र दिनांक 28.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें।

अवगत कराना है कि आप द्वारा वैष्णो धाम कॉलोनी के तलपट मानचित्र सं०-23/ प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया था। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार आप द्वारा कॉलोनी समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कॉलोनी नगर-नि मेरठ को हस्तान्तरित की जानी थी, किन्तु आप द्वारा प्राधिकरण से किये गये विकास अनु की शर्तों के अनुसार कॉलोनी के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और न ही कॉलोनी नगर-निगम, मेरठ को हस्तान्तरित की गयी है। जिस आपको पूर्व में भी पत्रांक 997/मा०अनु०/जोन-बी/18 दिनांक 24.12.2018, प: 897/मा०अनु०/जोन-बी दिनांक 24.04.2018 व पत्रांक-234/मा०अनु०/जोन-बी/22 दि: 26.05.2022 द्वारा सूचित किया जा चुका है।

रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन वैष्णो धाम कालोनी, बाई पास, मेरठ के काद निवासियों द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से कॉलोनी समस्याओं से अवगत कराया गया है, जिसमें कॉलोनी की ट्यूबवेल व स्ट्रीट लाईन का टि बिल जमा न किये जाने के कारण विद्युत कनेक्शन विच्छेद होने की दशा में कालोनी निवासियों को पानी व बिजली की आपूर्ति न होने, सीवरेज डिस्पोजल हेतु एस.टी.पी. का नि न किये जाने, रेनवाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण न किये जाने एवं भूखण्डों पर फ्लैट्स का नि किये जाने, ड्रेनेज डिस्पोजल न होने व कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर नगर नि मेरठ को हस्तान्तरित न किये जाने की शिकायत की गयी है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्याओं का तत् निराकरण करना एवं कॉलोनी के समस्त अवशेष आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्र

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 1149/12/मानचित्र अनु0 (जोन बी)/2012
प्रेषक,

दिनांक :- 07/9

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

अन्तिम नोटिस

सेवा में,

मै0 सिटी बिल्डकोन,
द्वारा श्री अनुराग गुप्ता (पार्टनर)
निवासी भारत प्लाजा काम्पलेक्स,
गढ़ रोड, मेरठ।

विषय:- तलपट मानचित्र संख्या 10/08 के वाहय विकास शुल्क/बैंक गारन्टी एवं पूर्णता प्रम के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 28.5.12 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सनराईज कालोनी का वाहय विकास शुल्क आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष प्रस्तुत बैंक गारन्टी नवीनीकरण कराने एवं कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर नियम आवेदन करने हेतु प्राधिकरण के पत्रांक संख्या 652/12 मानचित्र अनु0 जोन-बी/2012 07.5.12 के अनुसार समस्त औपचारिकतायें दिनांक 30.5.12 तक पूर्ण करने हेतु सूचित किया गया जो आप द्वारा आज तक पूर्ण नहीं की गयी है।

अतः आपको पुनः अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि कालोनी का अवशेष विकास शुल्क ₹0 22,45,856/- ब्याज सहित प्राधिकरण कोष में जमा कराने होंगे तथा 3 विकास कार्यों के सापेक्ष बन्धक बैंक गारन्टी ₹0 12,70,700/- पंजाब नैशनल बैंक को अग्रिम लिये नवीनीकरण कराके व कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 24.9.12 तक प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही व वाहय विकास शुल्क की धनराशि को भूराजस्व के माध्यम से वसूल किया जायेगा तथा बैंक गारन्टी नवीनीकृत न करने पर कालोनी के भूखण्डों पर प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति पर रोक लगायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।



21/9/12

भवदीय


30/08
सचिव,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक सिविल लाईन, मेरठ को इस आशय प्रेषित कि बैंक गारन्टी संख्या 25121 को अग्रिम वर्षों के लिये नवीनीकृत कर प्राधिकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।


14/09/12


30/08
सचिव,

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्रों के सापेक्ष निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र की सूची।





क्र.सं.	कालोनी का नाम	स्वीकृत मानचित्र संख्या	पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने का दिनांक
1.	रेल विहार	1074 / 09	30.03.2015
2.	गृहम कालोनी	20 / 10	09.07.2020
3.	रायल एस्टेट	06 / 13	07.07.2018
4.	शीलकुंज-1	08 / 12	23.01.2017
5.	अंसल हाउसिंग ग्राम जटौली, मेरठ	110 / 07	11.07.2016
6.	एपेक्स-2 नंगलाताश कासमपुर, मेरठ।	25 / 08	02.09.2016
7.	शीलकुंज-2 मुकर्रबपुर पल्हैडा, मेरठ।	22 / 09	31.01.2017
8.	ए टू जैड ग्रीन एस्टेट कालोनी	21 / 07	23.04.2014
9.	मेरठ वन	619 / 12	17.05.2018
10.	शीलकुंज-3	15 / 12	13.03.2018
11.	शीलकुंज-II Ext.	02 / 17	05.09.2020
12.	रैल्यो रेजीडेन्सी	02 / 13	03.07.2020
13.	मेट्रो रेजीडेन्सी	35 / 11	07.10.2020
14.	शीलकुंज एन्कलेव	11 / 16	05.09.2020
15.	एपेक्स सिटी	32 / 10	02.08.2018
16.	ओलिव ग्रीन सिटी	13 / 11	28.11.2020
17.	श्याम वाटिका	20190522123759303 (MDA/BP/22-23/OCC/0004)	05.01.2022
18.	गणपति एन्कलेव	08 / 17 (MDA/BP/21-22/OCC/0005)	28.08.2021
19.	रामपुर पावटी	19 / 11	13.05.2020
20.	एपैक्टस सिटी बागपत रोड	25 / 14	02.08.2021
21.	वर्धमान ग्रीन, मलियाना	151 / 09	21.01.2019
22.	यशोदा कुंज	13 / 04	07.01.2010
23.	यशोदा कुंज विस्तार, मवाना रोड, मेरठ।	15 / 06	11.02.2010
24.	कोरल सिप्रिंग	10 / 13	15.11.2018
25.	सरस्वती सागर	07 / 14	15.07.2021
26.	यशोदा कुंज	32 / 11	19.06.2019
27.	सरस्वती वाटिका	22/13 (MDA/BP/20-21/OCC/0001)	06.01.2023
28.	अंसल टाउन कालोनी ग्राम जटौली	10 / 07	11.07.2016
29.	अंसल ग्रूप हाउसिंग ग्राम जटौली	340/08	27.01.2016

(Handwritten signatures and initials)

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र के सापेक्ष निर्गत किये गये पूर्णता प्रमाण पत्र के संबंध में विवरण।

प्राधिकरण द्वारा 258 तलपट मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 29 कालोनीयों का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अवशेष 229 विकासकर्ताओं द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु आवेदन नहीं किया गया है। जिस हेतु विकासकर्ताओं को आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किये गए हैं। अवशेष 229 स्वीकृत तलपट मानचित्रों की सूची संलग्न की जा रही है।



MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY APPROVED COLONY LIST

Sr.No	MAP NUMBER	COLONY NAME	APPLICANT/DEVELOPER NAME	DATE OF APPRO-VAL	LOCATION	KHASRA NO	AREA
1	38/13	FATHEULAPUR(JAMIA RESIDENCY)	PRAMOOD KUMAR S/O RAMESH	7/9/2014	FATEHULLAPUR	189	20472
2	40/14	GRAM PANCHALI(MANSAROVAR INFRA WILD PVT LTD)	PRADEEP GUPTA	9/9/2015	PAANCHLI	623P, 618, 621, 622, 623, 622/1420P, 620P	35532.14
3	513/13	GROUP HOUSING DELHI ROAD	KAPIL MAHESHWAL, AGDISH SINGH	6/26/2013	MEERUT	1962	2014.39
4	17/13	MEERUT KHAAS	MOHD AFJAL S/O USMAN	9/6/2014	MEERUT	2566-2568, 2572, 2573, 2578-2582	27830
5	281/14	MILLAT HOME	ABBASI RAO DEVELOPERS PVT. LTD.	2/6/2023	BIJLI BAMBA BY PASS ROAD MEERUT	386,387/1,387/2 VILL BAJOT, MEERUT	18187.66
6	20/14	SARASWATI KUNJ	MAADHU GUPTA W/O ANANT KUMAR	8/22/2014	MEERUT	2117P	2600.62
7	187/99	Surya Palace	RAM KISHAN SHARMA	6/16/2001	NOOR NAGAR	25-30, 33, 37, 43, 44, 49, 51, 52, 63	104470.26
8	24/13	VILL BAJAUT HAPUR ROAD /BYPASS	VIJAY PAL SINGH & NARESH CHAND	1/21/2015	BAJAUT	401	14474.37
9	18/2001	Balwant Enclave	Sri Swatantrapal, 57 Royal park mall Road Meerut	2/17/2003	Roshanpur Daurli Roorki Road	889m, 891, 892/1, 893/1, 894, 895, 898, 909/1, 910/1, 910/2, 912, 896, 897	1354.82
10	27/13	European Estate Ext.	M/s Apex Realcon Pvt. Ltd. Director	4/7/2014	Naglatashi Kasampur	#####	40636
11	MDA/LD/20-21/0397	EUROPIAN GARDEN	M/S VRINDA ASSOCIATE THROUGH PARTNER RAHUL GUPTA	6/25/2021	VILLAGE NANGLA TASHI KASAMPUR KHIRWA ROAD, MEERUT	158A,158B,159 PART	23493.92 SQMTR
12	28/13	Flora Garden	M/s R.M.R.M. Infrastate Pvt. Ltd. Director Sh. Muskeem	2/15/2014	Mubarakpur Palheda	293/1, 295	2897.33
13	177/96	Gangotri	Secretary currency Cooperative Housing Committee	3/18/1996	Meerrut Lalsana Route Roorki Road	116, 115m, 129, 112, 558, 557, 556,	62740

14	177/89	Gangotri Colony	Mundra Sehkari Awas Samiti	3/18/1996	Roshanpur Dorly	558/2,556,557,567, 577 to 579, 580/1, 581,582/1,583/1.58 4/1	62740
15	16/2003	Golden Avainu	Shri Dharam Dev, Jagdev and P.O.A Shri Jitender Vaajva	6/17/2004	Roshanpur Dhorli Roorki Road	63, 66 from 78 to, 149, 158 from 164,166 , 167	22328
16	13/2003	Green City	Sri Kishan Lal	7/7/2004	Pilana Sofipur Roorki Road	33, 34, 392, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47p, 48	23678.93
17	34/13	Green Paradise	Sh. Parminder Teotiya	12/16/2013	Siwaya Jamaullapur	1382,1377 to 1380, 1284,1283,1280P, 1293, 1292, 1285 to 1287, 1291, 1294, 1270, 1271/1, 1296P, 1295, 1288 to 1290, 1311, 1310P, 1207 to 1209, 1298, 1319, 1301 to 1306, 1316P, 1317 to 1321, 1322P, 1376P	81442.45
18	29/13	Green View-2	Sh. Parmindar Singh Teotiya	2/7/2014	Dulheda Chauhan	625,642,665,668/2, 669 to 673, 675 to 682, 700, 705	19458.36
19	MAP201803221643 55480	JP Residency	Sh. Anurag Aggarwal	8/2/2019	Salarpur, Jalalpur	279,280,335,336,3 38,339,340,341P to 334, 346 to 350, 352P, 353	32318.31
20	MDA/LD/22- 23/0861	KHASRA NO.- 122/1 PART, VILLAGE ANUPNAGAR FAZALPUR, ROHTA ROAD, MEERUT "AMAN PARK"	RICHPAL SINGH S/O SH. SITARAM	8/22/2023	VILLAGE ANUPNAGAR FAZALPUR, ROHTA ROAD, MEERUT	122/1	2540 SQMTR
21	113/84	Model Town Sardhana Road	Secretary Model Town Co Operative Housing	3/10/1989	Sardhana Road	996, 997, 1011 and 1012,	58389.08
22	178/89 & 178/96	New Friends Colony	New Friends Sahkari Dwelling Committee, Roorki Road Meerut	3/18/1996	Pilana Sofipur Roorki Road	121, 108/4, 108/5, 120, 119/6 116/5, 119/3, 117 119/4, 118, 119/2	18500.18

23	189/91	New Friends Phase-II Colony	New Friends Sahkari Dwelling Committee,	7/24/2012	Pilana Sofipur Roorki Road	140, 144, 145, 149, 183	10164.31
24	14/2003	Queensland park	Shri Brijveer And P. O. A. Shri Sunil Tyagi	9/15/2004	Jatoli Bypass Rurki Road	1762, 1765, 1766, 1771, 1772, 1773, 1774 From 1777, 1788 From 1804	38004.73
25	1038/11	NOOR NAGAR	MOTOR	6/16/2012	NOOR NAGAR	49	126700
26	32/12	European Estate	M/s Apex Realcon Pvt. Ltd. Sh.	3/11/2013	Naglatashi Kasampur	136P, 137P, 143	32256
27	35/12	Gold Cost	Sh. Hariom Agarwal	10/24/2013	Shobhapur	664,684,929P,932P,933,937,938P,987 P,693P,694P,209P	37443
28	38/11	Mukarrabpur Palhera Meerut	Shri Anuj Jain A/50Diffence Colony Meerut	4/30/2012	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	129 and 130	1352.75
29	39/11	UNIQUE INFRA	KUMAR	1/30/2013	NOOR NAGAR	106	9125.07
30	40/05	Dwarikapuri Ext.	Sri Jai Prakash Agarwal	2/7/2006	Meerut	2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2142/2, 2143, 2145, 2146/2, 2147, 2148, 2149	25780
31	2/1/96	Inderprast 2nd	President Inderprast State Cooperative Housing Society 465 Prabhat Nagar Meerut	6/28/2000	Roshanpur Dhorli Roorki Road	756/3, 766/2, 767, 768, 794, 799, 800, 801, 802, 803, 807, 808, 809, 813, 814, 815, 816/1, 906, 907, 908, 909/2, 915, 795, 796, 797, 798, 804, 805, 806, 816/2, 817 from 827, 828/2, 834/2, 835, 836, 837, 838, 839/1, 840/2, 841/2, 901/2, 902, 903, 904, 905/	67100.22
32	8/1/99	Tej pal Singh Enclave	Sri Mahesh Kumar and Dinesh Kumar	7/12/2000	Town Meerut	2068 part, 2069 part, 2070 part, 2071, 2072, 2073, 2074	16957.38
33	5/1/2000	Brindawan Garden	Sri Jai Prakash .Roshanpur Daurli	7/31/2000	Roshanpur Daurli Roorki Road	598/1, 598/2, 600/1, 600/2, 600/3	9600
34	3/1/02	Appu Enclave	Sri Jagpal Singh P.O.A. .Sri Prakash	11/19/2003	Mukarrabpur Palheda	120, 122, 124p	26310

35	9//2002	Aanand Lok	Sri Ajit Singh, P.O.A. Sri Anurag Gupta, 56 panchshil Colony Meerut	10/26/2004	Roshanpur Daurli Roorki Road	869/2, 870/1, 871/2, 872/2, 873/2, 873/3, 875, 877, 878, 879	6330
36	7//2003	Jagdishpuram	Sri Tejpal Singh ,176 Nandan Garden Meerut	7/31/2003	Sradhhapuri Sardhana Road	In Sradhhapuri Distributed land	7591.32
37	1//13	Kalindi Kunj	M/s Kalindi Cons. Pvt. Ltd. Rajender Singh Tayal	7/18/2013	Roshanpur Dorlly	757,758,759P to 762P, 763,764, 905P, 1063P	1989
38	1//17	Ansal Housing	M/s Ansal Housing & Cons. Ltd., Sh.	7/1/2017	Roshanpur Dorlly	40,41/1,42/1,43,44	4000
39	14/02	Garden View	M/s Godwin Builder	3/27/2003	Delhi Road Rithani	Pilot no.551, 556, 560	8566.1
40	2//14	European Estate	M/s Apex Realcon Pvt. Ltd.	9/24/2014	Naglatashi Kasampur	284 to 286, 288, 290, 291	32490
41	8/3	Shyam Vatika	Sri Raj Singh P.O.A Shyamji Asted And Devvelopers by	11/1/2003	Noor Nagar	Pilot no.229, 230, 231	17450.58
42	11/3	Dwarikapuri	Sri Jay Prakash Agarwal	9/28/2004	Meerut	Pilot no.2133, 2134, 2135, 2139, 2136, 2137, 2140, 2141 ,2142	31477
43	3/14	Shatabdi Nagar	ANSAL HOUSING	3/4/2015	MOHHAMADP UR GUMI	12-18, 19P	86374.95
44	3/16	Mukarrabpur Palheda	M/s Indus Valley Promoters, Sh.	4/24/2017	Vill Mukarrabpur Palheda	626P, 627P	1520
45	1//04	Saraswati Lok	manika Agarwal	5/8/2005	Meerut	Pilot no.2119, 2120, 2121, 2122/1, 2122/2, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2141 part,218	55394.33
46	9/4	Shyam Enclave	Sri Ankur agarwal	9/28/2004	Hafjabad Mewla	204(part), 207(part)	5729.79
47	7/5	Greater Pallavpuram	Shri Yogender Rana and Vinod Kumar.81 Shri	8/24/2007	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	125 and 129	36620
48	5/13	King Park	Sh. Kavindra Singh	9/1/2013	Naglatashi Kasampur	558,562,469P,470P .472P	11373
49	10/6	Kalandi Kunj	Kalandi Constractions Pvt Ltd By Shri Pankaj Rastogi F-114 Ganga	3/25/2008	Roshanpur Dhorli Roorki Road	757, 761p, 762p, 763, 764, 905p, 921, 1063p.	19890

50	6/13	BUDHERA JAHIDPUR (JAINA COLONISOR)	DEEPAK JAIN	7/27/2013	BUDHERA JAHIDPUR	145	18080
51	24/06	Tej pal Singh Enclave Ext.	Sri Mahesh Kumar Tyagi	2/28/2008	Meerut	2062, 2063, 2064, 2068, 2069, 2070, 2071, 2075	4589
52	29/06	Appu Enclave Extension	Shrinath Devlopers and Promotors by Shri Shyam Sunder Yadav, 2nd floor, 14 Varandavan Garden Meerut.	9/26/2007	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	112/1, 118	18480
53	2/7	Axar Dham	Shri Inder Garg and Rakesh Verma etc Shivaji Road	2/10/2007	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	102P, 103, 108, 109/1, 112/2, 126	38595
54	8/7	Shyam Enclave Ext.	Sri Nipul Goyal and Sri Nakul Goyal	1/25/2008	Hafijabad Mewla	204	1090
55	12/7	Gardenia Estate	Era Infrastructure Engg. Limited	1/29/2007	Meerut	2144m, 2145m, 2146m, 2147m, 2148m, 2150m, 2151, 2153, 2154, 2157, 2144/1m 2145/1m, 2146/3m, 2147/1m, 2148/2m, 2150/2m, 2152, 2156/1m, 2158, 2155m, 2156m , 335, 336, 337, A.B. and Villege Noor Nagar Meerut 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 330.	213770
56	14/07	Green Village	M/s Supertech Ltd	11/29/2008	Noor Nagar Nangla Sher khan	229, 231, 234, 235, 238 239, 240, 241, 242, 243, 244, 249, 251, 253, 254, 256, 258, 259, 260, 355, 356, 357, 359, 361, 362	90742.5
57	7/15	Krishna World	M/s Prashandi Builders, Sh. Vijay Pal Yadav	12/22/2015	Lakhwaya Rasulpur, Murlipur Gulab	159P, 161P, 293P	16126.56

58	19/07	Mailforce City Shobhapur Meerut	Shri Satpal and Shri Onprakash etc.Surya Nagar Meerut	6/17/2008	Shobhapur Rohta Road	701/4, 629, 709, 710/2, 923/3, 701/1, 702	19018
59	20/07	Dev Dham Roorki Road Meerut	Shra Yogender Rana,81 Shri Ram Palace Delhi Road	4/6/2009	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	128	13970
60	23/07	Anand Niketan	M/s T.R Developers Pvt.Ltd by Shri Sanjay Garg,2 E/13 Nehrunagar Ghaziabad	3/5/2008	Pilana Sofipur Dhorli Roorki Road	8, 20, 26, 22/1, 22/2, 34, 50, 21, 29, 30, 23, 22/3, 24, 25, 18/1, 18/2, 1288, 1289/1, 1298, 1315/1, 1316/1, 1317, 1318, 1319] 1320] 1321	77178
61	8/14	BAJAUT	MUKESH MOHAN	1/3/2015	BAJAUT	403	19756.73
62	18/08	Apex Gram Jatoli Road Meerut	Apex Promart Pvt.Ltd by Shri Abhishek Chand Jain A-	1/17/2009	Jatoli Bypass Rurki Road	284, 285, 286, 288, 289, 290, 291	32490
63	23/08	Mata Vaishnu Dham Nangla Tasi Kasampur Meerut	Triloki Developers Pvt. Ltd by Shri Rakesh Verma oi Harilok Saket Meerut	8/7/2010	Nangla Tasi Kasampur Sardana Road	776, 812, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807	64595
64	28/08	Appu Green Park Roorki Road Meerut	Shri Shyam Ji Housing Dovloupers Pvt.Ltd by Menejing Dayrekatar Shri Shyam Sunder Yadav 2nd 14 Varandavan Gaurden Meerut	9/6/2011	Sivaya Jamalpur Roorki Road	230/1, 230/1, 230/2,261, 263, 264, 265, 266,267, 268, 256, 269, 270, 271, 272, 273, 277, 278, 278, 279, 280, 281,282,283, 255KH/3,255/2 and 257	66060
65	2/9	Bhagawti Kunj	Sri Suresh Chand	11/27/2009	Nagla Sherkhana	348	4590
66	7/9	Dream City Sardhana Road Meerut	Gayatri Project(Dream City)by Shri Pankaj Choudhary	6/22/2010	Village Jevry Bypass Roorki Road	672p, 673 , 677, 678p, 679p, 885p, 686p, 687 ls 693 rd	46807
67	10/9	Gardenia Estate Ext.	Era Land Mark Engg. ltd.	9/7/2009	Noor Nagar	317, 318, 319, 324, 325	12793

68	18/09	Green Hights Sivaya and Dukhera Meerut	A toZ Builders and Devlopers K-6 Pallavpuram-2 Meerut	1/29/2010	Sivaye Jamalpur Dorala Roorki Road	1375, 1376, 1434, 1436 ls 1440 rd, 1441/1, 1441,1442, 1444, 1445/1, 1446, 1450, 1451, 1452, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461 ls 1464 rd, 668/2, 690, 692, 693, 694, 695, 696/1, 696/2, 697, 698, 699, 700, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 742, 743, 745,	8222.14
69	6/10	Shyam Vihar	Sri Yogesh Kumar Goyal	7/20/2010	Rithani	366, 350/4, 368	5690
70	11/10	Madhur Vihar Roorki Road Meerut	Shei Rajeev Singh Chauhan Mukhtayeream Shri Ram Pal Singh 205/1 old Mohanpuri	3/29/2012	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	609, 610, 611, 612p, 635p	27493.75
71	13/10	Dream City Sardhana Road Meerut	M/s Gayatri Builders Associate Pvt.Ltd, by Shri Pankaj Choudhary Dist,Bharala Meerut	9/21/2010	dist Javry Sardhana Meerut	696A, 697, 699, 701P, 705P, 706P, 707,708, 711,722	39270
72	14/10	Madhur Enclave Roorki Road Meerut	M/s Madhur Infra Daulopers Pvt.Ltd,by Shri Rampal Singh 205/1 old Mohanpuri	8/25/2011	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	561, 562P	18860
73	17/10	Nand Vatika	Shiv Associate by Shri Ambreesh Kumar, 271 Abulane Meerut	1/11/2011	Gram Sivaya Jamalpur	1229, 1234, 1244, 1247, 1248, 1249, 1253, 1263	41020
74	24/10	Gayatri Green	M/s Gayatri Builders Associate Pvt.Ltd, by Shri Pankaj Choudhary Dist,Bharala Meerut	4/7/2011	Jatoli Bypass Rurki Road	609, 610, 611, 612p, 613p, 616p, 649p, 669p, 671p, 672,673, 677, 678, 679, 681, 682p, 683p, 684, 685, 688, 687, 688, 689, 690 ls 696 rd]	20310

75	30/10	Green Hights Roorki Road Meerut	A toZ Builders and Devlopers by Shri Jitender Singh C-6 Pallavpuram Meerut	2/7/2011	Sivaye Jamalpur Dorala Roorki Road	1375, 1376, 1434, 1436, 1441, 1441, 1442,1445, 1445, 1446, 1450/3, 1451/1, 1452, 1455 ,1464, 668/2, 690, 692 ls 695 rd,696/1, 696/2, 697, 698, 699, 735, 736, 737, 738, 359 ls 1366 rd, 1451/2, 684 ls 689 rd	98748.75
76	6/11	Exerdham Ext.Roorki Road Meerut	M/s Deva Associate by Shri Vikas Jain,100D Saket Meerut	4/23/2011	Dulhera Chauhan Roorki Road	1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168	12850
77	15/11	Ltd,Garden Mukarrabpur Palhera Meerut	Shri Radhay Shyam S% Shri Sher Singh Village and Post	8/10/2011	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	62	11776.74
78	22/11	LISARI DELHI HAPUR MEERUT	M/S ACME BUILD TECH INDIA PVT.LTD	10/20/2014	LISARI	400, 401, 445, 447- 451	39,945.00
79	26/11	Ambiance	Shri Kalu Singh and Shri Bhoti and Shri Rajkumar Singh,Village	1/10/2012	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	538	13690
80	9/12	Dream City Extension	M/s Gayatri Builders Associate Pvt.Ltd, by Shri Pankaj Choudhary Village,Bharala Meerut		Sardhana Road	711, 743p 744,from 751, 756, 757, 762, 763, 764	
81	33/13 & 10/12	Dwarika Dham	M/s Shiva Enterprises	1/31/2014	Siwaya	520, 521, 542 to 546, 548 to 557	27734
82	11/12	NOOR NAGAR	INFIUX REAITORS PVT.LTD	1/21/2015	NOOR NAGAR	336P	7043
83	19/12	Mukarrabpur Palhera	Shri Naresh Pal etc 03 Ashokpuri Meerut	1/22/2013	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	443	1730
84	22/12	Defense Residency	M/s Shivdulari Developers Pvt. Ltd.	2/20/2014	Naglatashi Kasampur	846,852/1,852/2, 864, 866,867	27931

85	26/12	Akshay Puram Jatoli Meerut	Akshay Puram Cooperative Housing Society Secretary Shri Ramphal Shastri		Jatoli Dhorli Rurki Road	41, 42, 45, 46, 48 ls 60, 1706p, 1717, 1720p, 1721 ls 1729 rd	43826
86	28/12	Green View-1	Sh. Parmindar Singh Teotiya	5/7/2013	Siwaya Jamaullapur	1448,1449,1450/1, 1452,1453/1,1453/ 2,1454	9905
87	21	Rajan Kunj	Sri Naresh Kumar Mittal , 94 budhanagate Meerut	12/11/2001	Roshanpur Daurli	541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 546, 547	22901
88	11/6	Rajkamal Park	Rajkamal Constraction by Shri Pradeep Bansal,Dev Nagar 16,Tilknagar Meerut.	8/31/2006	Roshanpur Dhorli Roorki Road	628, 1238, 1240, 1247 , 1255 ,1258A, 1259,1260,	10557.48
89	17/08	Rajkamal Rasidanci	Rajkamal Rasidanci Partner Shri Pradeep Bansal Dev Nagar 16, Tilak Road Meerut	10/6/2009	Roshanpur Dhorli Roorki Road	178/2, 180/2, 226, 231, 241, 244,245/2, 233, 234, 235, 240/2, 221	20898.23
90	4/2003	Roshanpur Daurli	Sri Rajeev Kumar ,214A Ganj Bazar Meerut	5/3/2003	Roshanpur Daurli Roorki Road	535	3518
91	13/16	Roshanpur Dorlly	M/s Ansal Housing & Cons. Ltd., Sh. rajender Sharma	2/17/2017	Roshanpur Dorlly	24,27,28,32,33	3563.66
92	19/09	Royal Park Etension	Shri Satender Singh etc..Sharadhapu ri-l Meerut	3/31/2011	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	531P, 553P, 555P 556, 557	20797
93	15/07	Royal Park Roorki Road Meerut	Shri Anil Kumar and Jitender Kumar M-2/107 Sharaddha puri- l Meerut.	2/8/2008	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	519P, 530P.	10622.9

94	15/16	ROYAL RESIDENCY	ADS INFRATECH C/O SATENDER SINGH AND PRAGTI BUILDTECH C/O MANOJ RANA	12/20/2017	NEAR PALLAV PURAM ROORKI ROAD MEERUT	519 (PART) 529(PART) AND 559	8808.53 SQ MTR
95	31/14	Sai Garden	Sh. Yashpal Singh	8/14/2015	Vill Mamepur, Amheda Adipur	240P, 241P, 306P, 307P, 308	5240
96	22/08	Shanti Nagar -II	Shri Mehash Chand Secretary, Shanti Nagar Cooperative Housing Society Roorki Road Meerut	11/15/2008	Roshanpur Dhorli Roorki Road	918m,919m,920/1 m	2420
97	1//97	Shanti Nagar Extension	Shanti Nagar Cooperative Dwelling Committee by Shri Mahesh Chand,01 Professor Colony Victoria Park Meerut	1/14/1997	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	712/2, 744, 745, 746, 747, 749,751, 752, 769, 787	32316
98	14/16	Sheel Kunj	M/s Indus Valley Promoters, Sh. Ajay Gupta	4/28/2017	Vill Mukarrabpur Palheda	451P, 468P, 170P to 473P, 474 to 477, 478P, 483P, 484, 485P, 487P	32448
99	12/9	Shoaib Hitech Oak City	Shri Hari Mohan Sharma by M/s Shoaib Hitech Pvt.Ltd New Delhi	1/29/2010	Dayampur and Nanglatashi Sardhana Road	580, 579, 581, 577, 587, 771, 775k 770, 773a,773b 292,611	92611
100	2//16	Silver City	Sh. Ashok Kumar & Smt. Rameshwari Devi	4/30/2016	Ikhlas Nagar Dabka	462P	2880
101	7/12	Silver City Dabka	M/s P.R Infratech Pvt.Ltd by Shri Praveen Bansal B/59 Samrat Palace Garh Road Meerut	10/18/2012	Iklaas Nagar Dabka Bypass Roorki Road	465, 467, 469, 470, 471, 504, 507 from 518,B-56, 20, 21, 22,	58833
102	07/12 & 11/13	Silver City Ext.	M/s P.R.A. Infratech Pvt. Ltd. Sh. Sidhartha Panwar	12/24/2013	Ikhlas Nagar Dabka	999P, 500P, 502, 503	10913.34

103	15/2001	Sun City First	Sri Subhash Chand ,P.O.A. Sri Pradeep Bansal	1/10/2002	Roshanpur Daurli Roorki Road	125p, 126p, 127p, 128p, 129/1, 132, 139p, 140/1, 141, 142/2, 143/2, 144/1, 146, 147p, 149p	9349
104	5/2002	Sun City Second	Sri Subhash Chand . Sun city Roorki Road Meerut	3/13/2013	Roshanpur Daurli Roorki Road	From 125 .to128part, 129/1 132p 139p 140/1, 141p, 142/2, 143/3, 144/1, 146, 147p 148p, 149p, 110p 174, 175, 176, 247/1, 107p, 108p ,109 150, 177, 181/1, 256/1, 151/1, 152/2, 153, 172, 173, 246/1, 256/1/2, 257/1	31634
105	12/6	Sunrise Enclave	Shri Anurag Gupta Punchsheel Colony Garh Road Meerut	2/5/2008	Pilana Sofipur Dhorli Roorki Road	35/2, 12, 87, 1322, 1323, 1324, 1326, 1327, 1328, 1329/2, 1330p	12410
106	10/8	Sunrise Enclave Roorki Road Meerut	City Buildcon Partner Shri Anurag Gupta,Bharat Plaza Garh Road Meerut	2/4/2009	Roshanpur Dhorli Roorki Road	35/2,1287, 1288, 1289/1, 1315/1, 1315/2, 1316/1, 1317 Is 1324, 1326,1327, 1328,1329/2 and 1330p	18739
107	21/2000	Trupati Garden	Sri Tej Ram ,Trupati Builders promoters, Western Kacheri Road Meerut	2/22/2001	Pilana Sofipur Roorki Road	146, 183, 147, 148 , 175	9104
108	17/2001	Trupati Garden	Sri Arvindnath Seth, Shiaji Road Meerut	5/22/2001	Kasheru Baksar	156	20430
109	30/12	Uday City	M/s Satyam Associates, Sh. Ravindra Pal	5/31/2013	Mukarrabpur palheda	175P, 177,178	7200
110	21/08	Uday City	M/s Satyam Associate by Shri Ravinder Pal Singh A-135, Difence Colony Meerut	1/29/2010	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	173, 174, 175, 179, 199, 200, 246, 251, 252	43098
111	27/06	Uday Park	Shri Ravindra pal Singh,A-135 Difence Colony Meerut	9/15/2007	Mukarrabpur Palhera Roorki Road	144P	29940

112	9/13	Vardhman Embraled Green	M/s Ajanta Coloniser Ltd. Director Sh. Utkarsh Jain	3/7/2013	Siwaya	845 to 854, 887, 873P	31690.18
113	15/14	VARDMAN ENERALD GREENS	M/S AJAMTA COLONISER LTD	4/15/2015	SIWAYA	845M,846M,847M ,848M,849.850,851 ,852,853,854,887,8 73,874,875,876,87 7,828,829,830,831, 832,833,834,866M, 867M,868,871,870, 872,878,856,857,8 58,888,889,889,87 9,869/1,865B,869/ 2,835,836M	61380.52
114	MDA/LD/21- 22/1236	VASUNDHRA RESIDENCY	VASUNDHAR A INFRA BUILD PVT. DIRECTOR AMIT KUMAR AND VASUNDRA KESARI BUILD COM PVT. LTD. DIRECTOR PARVEEN CHAUHAN	3/4/2023	POCKET-P, PALLAVPURM A, PHASE 2nd, TEHSIL SARDHANA, MEERUT	VILLAGE- DULHERA CHAUHAN KHASRA NO- 1214, 1247/4, 1250(KA), 1250(KHA), 1251(KA), 1251(KHA), 1252, 1253(KA), 1253(KHA), 1254, 1255, 1256, 1257(M), 1258, 1259 & 1282, AND VILLAGE- MUKARRABPUR PALHERA MEERUT KHASRA NO- 153(M), 167(M) & 169	38049.36 SQ MTRS
115	MDA/LD/21- 22/1385	VEDANTA KUNJ- II	M/S INDUS VALLEY PROMOTERS LTD. & M/S SHRISTI PROMOTERS PVT LTD.	11/22/2022	NH-58, VILLAGE SIWAYA JAMALPUR, MEERUT	570-PART, 574 PART, 575 PART, 577 PART, 578,579, 580- PART, 708, 709, 710 PART, 711,712,713,714,7 15 PART,727,728,729 ,730 PART, 731 PART, 732,733,734 PART, 735-PART	28600.37 SQMTR
116	11/11	Vernika Enc.Shobhapur Meerut	M/s B.L Infratech Pvt.Ltd by Shri Sumit Goyal	9/22/2011	Shobhapur Rohta Road	922P,	7784.79

117	1//8	Vikas Garden Rohta Road Meerut	Shri Richpal Singh Vikas Enclave Rohta Road Meerut	6/11/2008	Shobhapur Rohta Road	702, 703, 705, 706, 708, 923/4	8140
118	12/11	Vishraam Vatika Roorki Road Meerut	Shri Madanpal Singh etc.6th Bataliyan Roorki Road Meerut	12/12/2011	Pilana Sofipur Roorki Road	3/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13/2, 14/2, 14/3, 15, 16, 17, 20, 26	40095
119	538/2021	VISHWAKARMA COMMERCIAL PARK	SLG DEVELOPERS & PROMOTERS PVT LTD AUTH SIGNATORY MR KAMAL THAKUR	4/28/2021	SHRADHAPUR I PHASE-2 BYE PASS ROAD	PLOT NO CP-01	6300
120	144/87	Vivek Vihar	Nishant Garden Sehkari Awas Samiti	12/31/1999	Roshanpur Dorliy	562 to 564, 565 to 567, 580,582 to 586, 593,594/1,595/2,59 6,597,598/1,598/2	55100.53
121	32/13 & 19/13	Vrindavan Enclave	M/s Grovil Coloniser Pvt. Ltd.	7/28/2014	Ambheda Adipur	251, 269	15330.9
122	25/13	Alfa City	M/s Relpro Housing Pvt Ltd C/o Shri Mohit Goel R/o 21 Vrandavan Garden Roorki Road Meerut	26/02/2014	Khadoli & Rampur Pavti Baghpat Road, Meerut	573m, 574, 135,124,125,126,1 28,122,142,149,13 6M,139M,137B & 141M	43825.92
123	16/07	Anand Colony	Shri Dal Chand Gupta and Rajeev Agarwal	7/3/2008	Kalindi	1774	2020.26
124	17/12	Apex City Baghpat Road	M/s KRC Infratech Pvt Ltd C/o Director Shri Krishan Kumar Gupta	23/11/2012	Rampur Pavti Baghpat Road, Meerut	252-Part, 254 Part,255,256 & 259	31567.1

125	MDA/LD/21-22/0721	APEX SOUTH CITY	INFRAHEIGHT S PVT. LTD. THROUGH DIRECTOR SH. ATUL GUPTA	6/23/2022	VILLAGE MALIYANA .MEERUT	"KHASRA NO.- 1453(PART),1455, 1457,1458(PART), 1462(PART),1467/ 1861(PART),1467 (PART)1468,1469 (PART),1470(PART)1472,1473,1474, 1475,1476 PART1478,1482 (PART),1483 (PART)1486 (PART) & 1488, VILLAGE MALIYANA .MEERUT"	100134.55
126	34/14	Ashoka Green, Gram Maliyana Baghpat Road	M/s Bajania Associates C/o Partner Shri Jitendra Verma R/o Abu Plaza Abu Lane Meerut	14/10/2015	Ganesh Vihar, Maliana Baghpat Road	762,763 & 766/2M	6028.32
127	1/6	Aspen Guarden	M/s Era Landmark	28-07-09 26- 11-12 Revised	Khadoli	61, 66 from 71, 73 from 75, 81 from 85, 88, 92 from 96, 98, 102 and 103, 155, 160, 162, 181, 182, 186 from 191, 217, 218, 109 from 111, 115 lfrom 118, 129, 130, 133 from 135, 139 and 154	131326.57
128	5/14	Chitrakut Enclave	A.S. Shelton Pvt Ltd	13/10/2014	Kadoli Baghpat Road	801,804,807,808,809,813,815 & 816	27217.85
129	24/11	Dhungravali	M/s Gayatri Build Associate by Shri Pankaj Choudhary	10/20/2011	Dhungravali	331/7, 331/8, 331/9, 331/10, 331/11, 331/13, 429, 430, 431/1, 434/5, 434/6,	33510
130	4/12	Gayatri Estate	M/s Gayatri Builds Associate Pvt.Ltd, by Shri Pankaj Choudhary	5/21/2012	Mehroli	426/4, 428/2, 428/3, 436, 437, 438/3, and 438/4	16151.25
131	13/13	Gayatri Estate Block G & F	M/s Gayatri Multi Services Pvt Ltd	8/7/2014	Mahroli Bypass Road	401part, 438/1 part, 438/2 part, 439 part, 475 part, 478 part, 479 & 480 part.	51300

132	5/12	Gayatri Estate C Block	M/s Gayatri Bulid Associate	29/12/2012	Mahroli, Bye Pass Road, Meerut	420,421/4,421/5,421/6,424/1,424/3,426/1,426/3,428/3, & 429	38350
133	12//12	Gayatri Estate D Block	M/s Gayatri Bulid Associate	30/09/2013	Dungravli & Maharoli Bye Pass Road	311/7,331/13,312,313/3,332,331/11,331/1,331/12 & 418,420,429 & 431/1	41293.71
134	30/13	Gayatri Garden	M/s Gayatri Multi Services Pvt Ltd	24/04/2014	Dungravali Bye Pass Road	116/2,111,113/2,112 Part, 198/10, 198/5, 192/9, 192/6,113/1,115/1, 198/6, 198/2, 197part,198/14M,198/8,198/14,194/1, 194/2,193/5,192/13,192/10,192/8,195part,115/2,115/3,114,198/1,194/7,192/12,25part & 267 part.	72580
135	17/02	Gokul Vihar	Shri Yatender Singh and Shri Bijender	9/15/2003	Golabar	31,33, 34, 36,	30730
136	28/06	GREEN WOOD CITY	Jitendra singh Bajwa	9/22/2007	Green Wood City Near Bypass crossing, Baghpat road, Meerut	409,410/2,410/3,411 to 420(Rampur Pavati Vill.)Vill Maliyana-1626,1627,1628P, Vill-Panchali Khurd Khasra-521P	193660
137	23/11	Harman City Baghpat Road	M/s Harman Properties Ltd	23/12/2011	Maliyana Baghpat Road	626 & 628	33522.49
138	6/12	Harman City. Maliyana, Baghpat Road	M/s Harman Properties Ltd	24/12/2013	Maliyana Baghpat Road	607,669,671,673,600P,595P, 581P, 587 P, & 582 P	62419, Net-36279.25
139	34/11	Maan Sarovar Guarden Faze 2	Shri Rahul Agarwal and Shri Pradeep Gupta	3/13/2012	Mohakkampur	104, 105, 106part, 107part, 111part, 112part 113, 114 and 117 part	18383.5
140	17/09	Madhur Vihar	M/s Meerut Estate Doulopers Shri Inder Kumar Garg	1/25/2010	Maliyana	174, 111, 112, and 113	1210
141	18/10	Maliyana	M/s Vivishu Doulopers Pvt.Ltd by Shri Atul Gupta	11/1/2010	Maliyana	151, 152, 153, 158part, 159part	38427.82

142	5/16	Maliyana Baghpat Road	M/s Harman Infratec C/o Shri KPS Kukreja	13/07/2016	Vill-Maliyana Baghpat Road, Meerut	581P,587P,588P,592 part 593 part,595 part, 600 part & 607 part	18423.38
143	20/13	Mansarover Garden Second	M/s Mansarover Infra Pvt Ltd C/o Director Shri Rahul Agarwal R/o A-9, Kamla Nagar, Meerut	3/3/2014	Mohkam Pur Delhi Road	106 Part, 107 Part, 108,109 & 111 Part	22292.23
144	44/2020	MANSAROVER GARDEN-II EXTENSION-II	MANSAROVER INFRA BUILD PVT LTD THROUGH DIRECTOR MR KAMAL THAKUR	4/28/2021	MOHKAMPUR	108 PART, 109 PART, 140 PART	4907.72
145	18/07	Mohakkampur	Shri Prem Prakesh and Shri Kamal Kumar Goyal	4/4/2008	Mohakkampur Delhi Road	13, 134, 135 and 152	18790
146	10/10	Mohakkampur	M/s Shiv Buildcon by Shri Rahul Agarwal	12/29/2010	New Vishv Enclave	112part, 114part, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123part	16431.55
147	16/04	Nand Vihar	Shri Vijaypal Yadav	10/1/2004	Khadoli	26, 40, 41, 35, 36, 42, 204, 2047, 199, 196, 192, 160, 159, 156, 127, 126, 120, 43/7, 33, 31, 192, 205 37	95716.85
148	30/11	Neelkanth Havens	Shri Surender Singh and Shri Prem Singh	4/26/2012	Surendera Alias Putha	68	9779.26
149	17/14 & 38/21	New Shambhu Nagar Colony	M/s Shambhu Developers C/o Shri Vijay Kanwar	17/04/2014	New Shambhu Nagar, Meerut Delhi Road	107P,142part,143,144part,201P,202P, 203 to 207,208 part, 209 part,210P, 213/2,214,215, 245 & 246	30344.83
150	31/11	Om Sai Dham Colony	M/s Balsans Jewellers by Shri Parveen Kumar	12/12/2011	Bhurbhral	218, 225, 227, 228, 373, 384, 386, 390 part	44091.61
151	21/10	Rampur Pavti	M/s Gayatri Associate by Shri Pankaj Choudhary	4/18/2011	Rampur Pavti Bypass Road	169, 170, 171, 172, 179, 185, 186, 352, 356 and 358	20260

152	27/11	Rampur Pavti	M/s Haritez Infra Hights Pvt.Ltd by Shri Bharat Bhushan Gupta	11/29/2011	Rampur Pavti	252part	38287
153	17/12	Rampur Pavti	M/s K R C Infratech Pvt. Ltd by Shri Ramesh Chandre	1/28/2013	Rampur Pavti	252part, 254part, 255, 256, and 259	31567
154	11/2	Rishi Nagar Sector-1(Revised)	Shri Ashok Kumar Garg	6/3/2006	Maliyana	89 from 99, 101, 104part, 121part, 124part, 87part	34208.13
155	6/3	Rishi Nagar Sector-2	Shri Ashok Kumar Garg	11/16/2004	Maliyana	65, 67, 71, 72, 123part, 133part, 138, 70part, 66part, 125part, 73part.and 136	77446.93
156	31/05, 32/05,33/05	Rishi Nagar Shivam Sunder Colony	M/s Kirtika Astate by Partner Shri Ashok Kumar Garg	04-01-06 (Revised)	Maliyana	110part, 111part, 141part, 147part, 148part, 165part, from 186part	44644.97
157	16/11 (Revised)	Rishi Nagar Sundaram	M/s Kirtika Astate by Partner Shri Ashok Kumar Garg	10/1/2011	Maliyana Bagpat Road	141part, 147part, 148part, 168part, from181part ,	27287.04
158	34/12	Saga Habitat	Zenith Township Pvt Ltd	7/4/2014	Khadoli Bye Pass Marg	648,656,657,665,663,677/1,677/2,677/5,677/4,673 & 674	18774
159	22/14	Saga Habitat	M/s Zenith Township Pvt Ltd, R/o B-72, Sector-57 Noida	17/12/2014	Khadoli Bye Pass Marg	591	8502.5
160	22/10	Saga Hevitej	Zanith Township Pvt.Ltd by Shri Ranjeet Singh	10/19/2011	Khadoli	588part, 653part, 654, 680,	44168
161	7/8	Shakumbhari Dham	Shri Abhinav Yadav and Shri Anunay Yadav	7/7/2008	Maliyana	551, 552, 555, 558, 554, 668, 557, 549,569, 567, 574part, 548part, 550 and 556,	59105
162	23/12	Shri Kunj	M/s Goldee Associate C/o Partner Shri Rakesh Kumar & Others R/o 75-Gupta Colony, Meerut	1/3/2014	Maliyana Khasra	1714M	2533.84
163	42/05	Shushant City	M/s Ansal Land Mark	2/25/2006	Wed Vyaspuri	Authorities plan	342958.35

164	6/6	Shushant City Sector-4A	M/s Ansal Land Mark	7/10/2006	Vedvyaspuri	Authorities plan	250276.46
165	5/6	Shushant City Sector-7	M/s Ansal Land Mark	7/7/2006	Vedvyaspuri	Authorities plan	1313840.17
166	/20190522123759330	SHYAM VATIKA	Smt Shikha Yadav W/o Sri Manish Yadav	9/20/2019	Baghpat Road	252 Part Rampur Pavti	27083 Sqmtr
167	30/14	Soldier Enclave	M/s Dream Maker Developers & Builders Pvt Ltd	13/10/2014	Khadoli Bhola Road, Meerut	685/1part, 685/3 & 686	14977
168	7/4	Tirupati Enclave	Shri Satya Prakesh Agarwal	9/15/2004	Khadoli	46	12772.4
169	2/97	Vasant Kunj	Gopal Gaushala, Sh. Jai Narayan Jain	6/18/1999	T.P. Nagar	1785, 1786, 1787P, 1793, 1794	NA
170	1/12	Vasu Green(Maliyana)	M/s Garg Enterprises Pvt.Ltd by Shri Amit Kumar Garg	9/10/2012	Maliyana	76m, 82,84, 86,87 and 88, 85	14997.12
171	41/14	Vill-Maliyana , Baghpat Road	M/s Jaswant Sugar Mills Ltd	25/04/2015	Maliyana Baghpat Road	1049	13910
172	26/08	Vishiv Enclave	Shri Kamal Kumar Goyal	5/27/2009	Mohakkampur Delhi Road	123, 124, and 135,part	15790
173	79/21	VISHWAKARMA INDUSTRIAL ESTATE EXTENSION -II (79/21)	MANSAROVE R INFRA BUILD PVT LTD VISHKARMA BUILDER	9/20/2021	BAGHPAT ROAD	672-PART, 690-PART. VILL-PANCHALI KHURD	6274
174	8/8	Wonder City	Shri Gayatri Associate by Shri Pankaj Choudhary	5/23/2008	Khadoli	637	14170
175	20/08	Wonder City	Shri Gayatri Associate by Shri Pankaj Choudhary	5/23/2008	Khadoli	653	8620
176	23/10	Wonder City Faze-2	M/s Gayatri Builders Associate Pvt.Ltd, by Shri Pankaj Choudhary	4/18/2011	Khadoli	607/2, 609/2 and 610	6830
177	28/10	Abdulla Pur	M/s Ganga Enterprises	4/20/2011	Abdulla Pur Mawana Road	Abdulla Pur-163 and 167	27680
178	1/05	Alak Nanda Dham	Shri Dharam Veer Singh and Shri Vijay Singh	6/7/2005	Mawana Road	Rajpura-119, 120	30940

179	MAP201904081433 19813	APEX ENCLAVE	M/S AADINATH ESTATE DEVELOPERS, (ATUL GUPTA)	5/6/2021	DATAWLI GASUPUR, GARG ROAD MEERUT	1220 PART. 1221 PART, 1230, 1232 & 1233	23979.37
180	MDA/LD/22- 23/1061	APEX NORTH CITY	M/S RENUKA BUILDTECH Pvt.Ltd. Th.DIRECTOR SH. AYUSH GUPTA	8/16/2023	VILLAGE - KAMALPUR GARH ROAD	VILLAGE - KAMALPUR GARH ROAD Meerut 371, 376 PART, 382, 383, 384 PART, 393 PART, 394 PART, 395 & 401, 449, 450	100918.40 Sqmt
181	3/2000	Chankypuri	M/s Toweri Clonisors by Shri Satya Narayan and Gopal Narayan	7/21/2000	Chankypuri	Meerut- 635,Saraykaji 246, 247	42092.16
182	16/09	Chitrkut Colony	Smt Shakuntla Devi.	1/7/2010	Surajkund Road	Main Meerut-4323	891
183	16/06	Coral Spring	Shri Harsh Garg s% Shri Vinod Kumar Garg	7/2/2007	Kila Parishit Road	Abdullahpur400/10 94, 402, 403, 404, 405, 408. 409 part, 411, 412, 374 and 413	88580
184	27/12 Revised	Datawali Gesupur	Shri Ajay Grover Getway Global Buildwel Pvt.Ltd	1/17/2013	Garh Road	Datawali Gesupur- 619, 621, 622, 1252, 1260, 1262/1, 1262/2	43026
185	26/07	Divye Lok	Smt Vijay Kumari w% Shri Bharampal Singh	9/2/2008	Mawana Road	Rajpura-10 part	4969.54
186	21/09	Dream City	M/s GayatriDouloper s by Shri Pankaj Choudhary	7/24/2010	Mawana Road	Rajpura-131, 134, 136part, 137part	21674
187	19/10 Ammended	Ganga City Colony	Shri Ganga Associate C/o Ram Avtar Agarwal	5/5/2016	Abdullapur	315 and 320	12500
188	1/7	Ganga Dham ext.	Shri Yogender Rana and Shri Rakesh Verma	12/7/2007	Mawana Road	Rajpura-115, 117	19540
189	23/09	Ganga Dham-3	Shri Vikas Jain and Shri Yogender Rana	1/28/2010	Ganga nagar	Rajpura-137part,	16861
190	3/7	Ganga Green City	M/s Gayatri Doulopers, by Shri Pankaj Choudhary Dist,Bharala Meerut	5/21/2007	Mawana Road	Rajpura-139	22330

191	9/5	Ganga Guarden	Shri B.L Tyagi and OmPal Singh	3/22/2007	Mawana Road	Rajpura-121part	11620
192	15/03	Ganga Nagar fase-2	M/s Mani Enterprises by Shri Atul Gupta	5/23/2005	Abdullapur	Abdullapur-248, 251, 254, 282, 283, 284, 287, 288, 293part, 307part, 309part, 310part	77195
193	14/04	Ganga Sagar	M/s Mani Enterprises by Shri Atul Gupta	11/18/2004	Mawana Road	Abdullapur-178, 180, 182, 186, 241, 294, 296, 298, 173part, 177part, 299part, 302part, 304part, 310part, 305part.	128625.07
194	20/09	Ganga Vatika	M/s Rohini Enterprises by Shri Vijender Kumar	2/2/2010	Abdullapur	Abdullapur-174	19410
195	16/13	Ganga Vatika Colony Extn	M/s Ganga Enterprises C/o Ramesh Chand	24/01/2014	Abdullapur	168 part, 169, 170, 171,173 part	11548.66
196	29/11	Ganga Vatika Ex.	M/s Ganga Enterprises by Shri Bharat Bhushan Gupta	3/23/2012	Mawana Road	Abdullapur-164part 165	10980
197	1//15	Ganga Vatika Extn	M/s Apex Inter National & M/s Ganga Enterprises C/o Ramesh Cnadra	27/04/2016	Abdullapur	173	2492.28
198	02/06 Revised	Gangadham-1	Shri Yogender Rana and Shri Rakesh Verma	8/22/2009	Mawana Road	Rajpura-124, 126, 127, 128. 140part, and 141part	67575
199	10/4	Gangapuram	Shri Ishver Pal Shri Kanwar Pal, Shri Dharam Pal	1/18/2005	Mawana Road	Kaseru Baksar-204, 205, 206part 207part 208part 210part 218part, 222, 223part, 224, 225, 226part 227part, Amhera Aadipur-511	41050
200	9/16	Gateway Global Build Bell Pvt Ltd	Shri Devendra Dhingra S/o Raghunath Sahai Dhingra, A-64, Guru Nanak Pura, Modi Nagar, Ghaziabad	11/7/2016	Vill-Datavli Gesupur (East of Kali Nadi) Meerut	1260,1262 / 1 and part of 1255.	6085.31

201	18/06	Global City	M/s Godwin Cons.	1/2/2007	Mawana Road	Meerut-507, 508/1110, 509, 510, 511, 512, 514	28860
202	1//02	Greater Ganga	M/s Godwin Cons.by Shri Jitender Badhva	3/26/2002	Mawana Road	Authority plans	44177.79
203	24/09	Honey Golf Green	Pawansut Doulopers by Partner Shri Sanjay Kumar	1/28/2010	L.L.R Medical College behind Garh Road Meerut	Reshna-190/2, 191/2, 192/2, 216/2, 217/2, 184, 221/1, 188, 187/1, 185, 222, 183/1, 186/1, 223 and 219	37940
204	2//15	Karoli Road	Power Alimullah S/o Apir Allah	14/01/2016	Begumbagh	9,9/1,9/2,9/3,9/4,9/5	5156
205	11//2000	Kirti Palace	Shri Anand Prakash Agarwal	10/3/2005	Near Jagrati Vihar Garh Road	Diggi-6363part, 6364, 6366, 6367, 6363, 6369 ,and 478	35371
206	4/2	Krishan Guarden	M/s Krishan Cons.	5/22/2002	Ganga nagar Mawana Road	Housing Authority plans in Ganganagar	20995.02
207	14/01	Krishan Lok	M/s Mani Enterprises by Shri Atul Gupta	1/15/2003	Mawana Road	Rajpura-61part, 63part, 79part 78 and 79	39197.47
208	1//96	Mayur Vihar	Shri Anil Yadav	5/12/1997	Shastri Nagar Road	Meerut 6360 and 6100	46680
209	4/9	Mayur Vihar Ex.	Shri Anil Kumar Yadav	11/3/2010	Shastri Nagar Road	Meerut-6362, 6363part, 6364part,	7850
210	4//99	Moti Prayag	Delta Devolouders by Shri Anil Kumar	6/21/2000	P.O Medical College Garh Road	Reshna-198, 99, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 and 211	54770
211	15/2000	panchwati	Shri Shiv Kumar	1/1/2001	Mawana Road	Kaseru Baksar-186 from 189 ,and 196 from 2002, 2006Partial, 2007 Partial	41750
212	20/11	Raj Golf Green	Shri Rajkumar Bhardwaj and Smt Aasha Rani Bhardwaj	10/17/2011	Mawana Road	Abdullapur-149, 151, 153	35640
213	MDA/ANI/2021/00 01041 (Revised)	SAGAR VATIKA	M/S GANGA ENTERPRISES (AYUSH GUPTA)	9/11/2022	VILL- ABDULLAPUR	192,195,196,197, PART,198 PART-199, 200 & 201 PART	39837.02

214	37/23 Compounding	SAGAR VATIKA PHASE-2	M/S SHAGUN ENTERPRISES THROUGH PARTNER KAPIL GARG AND ATUL GUPTA	5/20/2023	VILLAGE ABDULLAPUR MEERUT	212 PART, 214, 215, 216, 219, 237	39794.00 SQ.M.
215	5/1	Sai Nagar	Shri Mithan SinghAnd Babu Singh and Tikaram etc.by Mukhtaream Shri Ghander Singh	3/24/2001	Chankypuri Road	Saraikaji-260, 261, 262, 263	19980
216	16/04	Sanskar Kunj	Shri Jagdeesh Singh	8/21/2004	Ganga nagar Pocket-H	Housing Authority plans Ganganagar H-Pocket	4072
217	1//2001	Saray Kaji	Smt Shakuntla Jain etc.	3/8/2001	Saray Kaji	Saray Kaji-19part	4035.75
218	13/01	Som Dutt Vihar	Shri Ashok Kumar Garg etc.	6/2/2003	Garh Road	Saraikaji-96part, 97, 98, 99, 100, 102part, 225, 228part	36860
219	21/11	Vardhmaan Kaneri Park	M/s Ajanta Clonizers Ltd.by Shri Utkarsh Jain	1/20/2012	Mawana Road	Kaseru Baksar- 262, 263	16335.3
220	35/14	Vardman Golden Park	M/s Riddi Promoters Pvt C/o Shri Ramesh Jain	20/01/2015	Kaseru Buxer	482, 483	8898
221	20/01	Vishnu Lok	Smt Ratna Devi w% Late Shri Shyamlal	6/25/2004	Mawana Road	Salarpur Jalalpur- 429part, 431part, 430part, 423part, 424part, 418part	7933.5
222	25/11	GAGOL ROAD KASHI	KRISHNA INTER PARNOYERS KAMAL DUTT SHARMA	10/26/2012	GAGOL ROAD	1163, 1164, 1168, 1250	22.653.39
223	41/11	MANSAROWAR INDUSTRIAL ESTATE	MANSOROVE R INFA BUILD PVT LTD PRADEEP GUPTA	4/3/2012	MANSAROWA R	623P, 624P, 667P, 668, 670P	16980.84
224	14/11	MOHKAMPUR DELHI ROAD	RAILPRO INFRA DEVELOPERS	3/12/2014	MOHKAMPUR	414, 420-426, 430, 432-435, 446-448, 450, 451, 452/1, 452/2, 453	74450

225	1//9	PAANCHLI (INDUSTRIAL)	WISH KARMA INTRUSTIAL STATE KAMAL KISHOR	4/23/2009	PAANCHLI	465P, 670P, 671P, 672P, 681P, 682P	24717
226	2//10	PAANCHLI (INDUSTRIAL)	WISH KARMA BUILDERS PRADEEP GUPTA	7/3/2010	PAANCHLI	670P, 671P, 672P	20411
227	27//10	PAANCHLI (INDUSTRIAL)	WISH KARMA BUILDERS PVT LTD PRADEEP GUPTA	6/14/2011	PAANCHLI	623P, 624P, 667P, 668, 670P, 671P, 672P	34136
228	25/12 & 23/13	PAANCHLI (INDUSTRIAL)	MANSOROVE R INFA BUILD PVT WISH KARMA BUILDERS, PRA DEEP GUPTA	1/29/2013	MANSAROWA R	623P, 624P, 672P, 626P, 690P, 667P, 668P	37143
229	12//13	RITHANI (LONG TALLY ENTERPRISES)	SANJEEV GUPTA	6/17/2014	RITHANI	242, 277-280, 1090-1097	45010



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

407

ANNEXURE-139/3

पत्रांक : 1968/18/मानचित्र जोन-सी/18

दिनांक : 13.8.18

सेवा में,


नगर आयुक्त,
नगर निगम,
मेरठ।

विषय : तपलट मानचित्र संख्या 32/10 "एपेक्स सिटी" कालोनी के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आवेदक/विकासकर्ता मै० के०आर०सी० इन्फ्राटैक प्रा०लि० के द्वारा "एपेक्स सिटी कालोनी" का विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त प्राधिकरण में सम्पूर्ति मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के क्रम में उ०प्र०नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र संख्या 1962/18 दिनांक 13.8.18 निर्गत किया जा चुका है।


अतः उक्त कालोनी का हस्तान्तरण कराने का कष्ट करें।


मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि -

के०आर०सी० इन्फ्राटैक प्रा०लि० द्वारा श्री रमेश चन्द को उपरोक्त क्रम में नगर निगम, मेरठ के कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत कर हस्तान्तरण के सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।


13/8/18


मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

140
1992
मेरठ

408
विकास

प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 398/मान0जोन-डी

दिनांक : 04-10-2018

प्रेषक,

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम,
मेरठ।


विषय:—यशोदा कुंज (विस्तार) मवाना रोड, मेरठ कालोनी को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया यशोदा कुंज (विस्तार) मवाना रोड, मेरठ ग्राम—कसेरूबक्सर के खसरा संख्या: 226 पार्ट, 227 पार्ट, 236 पार्ट, 237 पार्ट, 238 पार्ट, 239 पार्ट एवं 240 पार्ट पर स्वीकृत तपलट मानचित्र संख्या: 15/06 का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के पत्रांक: 15/06/मान0अनु0(जोन-डी) मयंक/10 दिनांक: 11.02.2010 के माध्यम से निर्गत किया जा चुका है तथा कालोनी को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित करने हेतु प्राधिकरण के पत्रांक: 686/18/मान0अनु0 दिनांक: 07.04.2018 तथा पुनः अनुस्मारक पत्र पत्रांक: 975/18 मान0अनु0 दिनांक: 28.04.2018 के माध्यम से अवगत कराया गया था।


अतः पुनः अनुरोध है कि यशोदा कुंज (विस्तार) कालोनी की अवस्थापना सुविधाओं को हस्तगत किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।


संलग्नक: यथोक्त।


2-10-18
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:—

1. मा0 आयुक्त महोदया, मेरठ मण्डल, मेरठ को सादर सूचनार्थ।
2. मैसर्स इन्डस वैली प्रमोटर्स 02, पी0एल0शर्मा रोड, मेरठ को उनके पत्र दिनांक: 16.07.2018 के क्रम में इस आशय के साथ कि कालोनी के अवस्थापना सुविधाओं को नगर निगम को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

03

04.10.18


3-10-18
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: 890/18 नगरपालिका अनुभव
सेवा में,

दिनांक: 24/4/2018



नगर आयुक्त,
नगर निगम,
मेरठ।

विषय:- यशोदा कुंज कालोनी मवाना रोड, मेरठ के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या-13/04 को नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया यशोदा कुंज कालोनी, मवाना रोड, मेरठ, खसरा संख्या-204, 205, 206पार्ट, 207पार्ट, 208पार्ट, 210पार्ट, 218पार्ट, 222पार्ट, 223पार्ट, 224पार्ट 225, 226पार्ट, 227पार्ट, ग्राम कसेरूबक्सर पर स्थित तलपट मानचित्र संख्या-13/04 (छायाप्रति संलग्न) का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के पत्रांक 1677/10/मान0 अनु0(जोन डी) मयंक/09 (छायाप्रति संलग्न) दिनांक 07.01.2010 के माध्यम से निर्गत किया जा चुका है।

अतः यशोदा कुंज कालोनी के निवासियों के अनुरोध के क्रम में कालोनी की अवस्थापना सुविधाओं को स्वीकृत तलपट मानचित्र की प्रति पर चिन्हित करते हुए इस आशय के साथ प्रेषित है कि कालोनी की अवस्थापना सुविधाओं को हस्तगत किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोक्त

 उपाध्यक्ष,
 मेरठ विकास प्राधिकरण,
 मेरठ।ok
प्रतिलिपि :- मै0 इण्डस वैली प्रमोटर्स, पता-02, पी.एल. शर्मा, रोड, मेरठ को इस आशय के साथ कि कालोनी के अवस्थापना सुविधाओं को नगर निगम को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

 उपाध्यक्ष,
 मेरठ विकास प्राधिकरण,
 मेरठ।ok


 28.4.10

Gkandhu



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 1775/मान-ए/18 जोन-ए/18 दिनांक : 18-7-18

182

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
मेरठ।

विषय :- रॉयल एस्टेट कालोनी, बुढेरा जाहिदपुर, हापुड बाईपास, मेरठ के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कालोनी के विकासकर्ता मै० जैना कालोनाईजर्स प्रा० लि० के डायरेक्टर श्री दीपक जैन के मानचित्र संख्या-06/13 रॉयल एस्टेट कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यो को पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा कालोनी के आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं का सत्यापन करते हुए पत्रांक 1717/मान० अनु०/जोन-ए/18 दिनांक 12.07.2018 के माध्यम से पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य सतोषजनक स्थिति में है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त कालोनी की अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव हेतु हस्तान्तरण विकासकर्ता से प्राप्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।


सचिव, 18/7/18
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त महोदय को सूचनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
3. मै० जैना कालोनाईजर्स प्रा० लि० के डायरेक्टर श्री दीपक जैन, निवासी-साधना न्यू प्रेमपुरी, रेलवे रोड, मेरठ को अनुपालनार्थ।


सचिव, 18/7/18
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

17/7/18

ANNEXURE-R/2-4

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

124वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 17-08-2023

का

कार्यवृत्त

<p>के निस्तारण हेतु विभिन्न विभागों यथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लोक निर्माण विभाग मेरठ, एन0एच0ए0आई0, अग्निशमन विभाग, पर्यावरण/प्रदूषण विभाग, सिंचाई से वांछित अनापत्तियां आवेदन की तिथि से 45 दिनों के अन्दर प्राप्त हो, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग को कोई आपत्ति नहीं है मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>एन0एच0ए0आई0, अग्निशमन विभाग, पर्यावरण/प्रदूषण विभाग, सिंचाई, मेरठ आदि विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनापत्तियां समय से निर्गत न होने के कारण मानचित्र स्वीकृति में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड के समक्ष गहन विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्गत किये जाने वाली अनापत्तियां ससमय निर्गत किये जाने हेतु उपरोक्त विभागों को पृथक-पृथक निर्धारित समयावधि हेतु SOP (Standard Operating Procedure) एवं Digital App/Portal तैयार किया जाए। 2. उपरोक्त के अनुश्रवण हेतु आयुक्त महोदया, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों से अनापत्तियां निर्गत किये जाने हेतु प्रत्येक माह तीसरे बृहस्पतिवार को समीक्षा बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया।
<p>3. प्राधिकरण से विकासकर्ताओं द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को 45 दिनों की समयावधि के अन्दर</p>	<p>प्राधिकरण से विकासकर्ताओं द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को 45 दिनों की समयावधि के अन्दर हस्तान्तरित होने के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड के समक्ष गहन विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण से विकासकर्ताओं द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने

<p>हस्तान्तरित हो, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग को कोई आपत्ति नहीं है कालोनियां स्वतः ही नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित हो जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित किये जाने हेतु मा0 बोर्ड द्वारा निम्न समिति गठित की गयी है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर आयुक्त (नामित प्रतिनिधि, आयुक्त मेरठ भण्डल, मेरठ) --- अध्यक्ष 2. अपर नगर आयुक्त (नामित प्रतिनिधि, नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ) -- सदस्य 3. सचिव (नामित प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण) --- सदस्य 4. अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ -- सदस्य 5. अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ -- सदस्य <p>उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण से विकासकर्ताओं द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित किये जाने हेतु SOP (Standard Operating Procedures) तैयार किया जाएगा तथा समिति के सदस्य अपने अधीनस्थ तकनीकी अधिकारियों को समिति में सम्मिलित करने हेतु अधिकृत होंगे।</p>
<p>4. उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 अधिसूचना संख्या-2119/आठ-3-22-10 विविध/2019 लखनऊ दिनांक 23.08.2022 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 अधिसूचना संख्या-2119/आठ-3-22-10 विविध/2019 लखनऊ दिनांक 23.08.2022 जो मेरठ विकास प्राधिकरण (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा) उपविधि-2022 से सम्बन्धित है, को अंगीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि आई0टी0 एवं</p>

मद सं० 03

प्राधिकरण से विकासकर्ताओं द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को 45 दिनों की समयावधि के अन्दर हस्तान्तरित हो, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग को कोई आपत्ति नहीं है कालोनियां स्वतः ही नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित हो जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमान्तर्गत मेरठ शहर के निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्राधिकरण से स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र की स्वीकृति की शर्तों के क्रम में कालोनियों के समस्त विकास कार्य पूर्ण कर प्राधिकरण से नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित की जाती है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण वर्तमान में यू0पी0ओ0बी0पी0ए0एस0 पोर्टल पर तलपट मानचित्र/मानचित्र आवेदनो की ऑनलाईन स्वीकृति कालोनी के समस्त विकास कार्य पूर्ण कर प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित करने तक नियमानुसार बैंक गारन्टी/भूखण्ड प्राधिकरण में बंधक रखने की शर्त के साथ प्रदान की जाती है।

निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण प्राप्त करने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित नहीं हो पा रही है। प्राधिकरण द्वारा निजी विकासकर्ताओं को कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से निरन्तर सूचित किया जा रहा है तथा विकासकर्ताओं द्वारा भी नगर निगम, मेरठ से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जा रहा है, परन्तु नगर निगम, मेरठ द्वारा कालोनी हस्तान्तरित नहीं की जा रही है।

उक्त के सम्बन्ध में निजी विकासकर्ताओं द्वारा कालोनियों के नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित न होने के सम्बन्ध में एवं कालोनी के अनुरक्षण कार्य हेतु भी निवासियों द्वारा निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण से विकासकर्ताओं द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को 45 दिनों की समयावधि के

अन्दर हस्तान्तरित की जाए, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग को कोई आपत्ति नहीं है कालोनियां स्वतः ही नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने वाली कालोनियों की सूची का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	कालोनी का नाम	स्वीकृत मानचित्र संख्या	पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने का दिनांक
1.	रेल विहार	1074 / 09	30-03-2015
2.	गृहम कालोनी	20 / 10	09-07-2020
3.	रॉयल एस्टेट कालोनी	06 / 13	07-07-2018
4.	शीलकुंज-1	08 / 12 04 / 07	23-01-2017
5.	अंसल हाउसिंग ग्राम जटौली, मेरठ	10 / 07	11-07-2016
6.	एपेक्स-2 नंगलाताशि कासमपुर, मेरठ।	25 / 08	02-09-2016
7.	शीलकुंज-2 मुकर्रबपुर पल्हैडा, मेरठ।	22 / 09	31-01-2017
8.	ए टू जैड ग्रीन एस्टेट कालोनी	21 / 07	23-04-2014
9.	मेरठ वन	619 / 12	17-05-2018
10.	शीलकुंज-3	15 / 12	13-03-2018

11.	शीलकुंज-II Ext.	02 / 17	05-09-2020
12.	रैल्प्रो रेजीडेन्सी	02 / 13	03-07-2020
13.	मेट्रो रेजीडेन्सी	35 / 11	07-10-2020
14.	शीलकुंज एन्कलेव	11 / 16	05-09-2020
15.	एपेक्स सिटी	32 / 10	02-08-2018
16.	ओलिव ग्रीन सिटी	13 / 11	28-11-2020
17.	श्याम वाटिका	20190522123759303	05-01-2022
18.	गणपति एन्कलेव	08 / 17	28-08-2021
19.	रामपुर पावटी	19 / 11	13-05-2020
20.	एपैक्टस सिटी बागपत रोड	25 / 14	02-08-2021
21.	वर्धमान ग्रीन, मलियाना	151 / 09	21-01-2019
22.	यशोदा कुंज	13 / 04	07-01-2010
23.	यशोदा कुंज विस्तार, मवाना रोड, मेरठ।	15 / 06	11-02-2010
24.	कोरल सिप्रिंग	10 / 13	15-11-2018
25.	सरस्वती सागर	07 / 14	15-07-2021
26.	यशोदा कुंज	32 / 11	19-06-2019

27.	सरस्वती वाटिका	MDA/BP/20-21/OCC/0001	06-01-2023
28.	गणपति एन्कलेव	MDA/BP/21-22/OCC/0005	21-10-2022
29.	श्याम वाटिका	MDA/BP/22-23/OCC/0004	21-10-2022

अतः उपरोक्तानुसार प्राधिकरण से विकासकर्ताओं द्वारा कालोनी के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को 45 दिनों की समयावधि के अन्दर हस्तान्तरित हों, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग को कोई आपत्ति नहीं है कालोनी स्वतः ही नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित होने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा10 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

① Comm. here. Same. here.



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 162 / अधि० अभि० / 2023-24

दिनांक : 20.11.23

नगर नियोजक

कृपया अवगत कराना है कि मा० एन. जी. टी. द्वारा ओ.ए. संख्या 492/2022 ग्रीनवुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी तथा अन्य बनाम गॉडविन कन्सल्टिंग कम्पनी एवं अन्य में दिनांक 18.09.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

Respondents no. 2-MDA and 5-MCM are directed to file additional responses giving complete details regarding such building projects in Meerut the external/internal development works of which have not been completed and for which completion certificates have not been issued by MDA and which have not been taken over by MCM after expiry of the stipulated period within which such external/internal development work were to be executed and also regarding the steps taken by them for resolution of the issues and redressal of grievances of the residents of such building projects. Respondents no. 2-MDA and 5-MCA shall also place the complete information on their websites. Reply/response by respondent no. 2-MDA and respondent no. 5-MCA be filed by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF and complete information be also uploaded on their websites within two months.

उपरोक्त के क्रम में अभियन्त्रण खण्ड के बिन्दु सं०-4 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि:-
बिन्दु सं०-4-ग्रीनवुड सिटी परिसर की आन्तरिक सीवर लाईन, सम्पवेल एवं पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कर प्राधिकरण द्वारा निर्मित सीवर लाईन में जोड़ने का कार्य विकासकर्ता द्वारा कराया गया है। ग्रीनवुड सिटी के अनुरोध पर सीवर निस्तारण हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा वाह्य विकास निधि के अन्तर्गत ग्रीनवुड सिटी के समीप से 200 एम.एम. डायामेटर के (C.I D/F) पाइप लाईन बिछाकर वेदव्यासपुरी की ट्रंक सीवर की मेनहोल में जोड़ा गया था जिसके एन०एन०-58 के विस्तारीकरण एवं फ्लाइ ओवर के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में वहां के निवासियों द्वारा बताया गया, जिसकी स्थलीय जांच करायी गयी, सीवर लाईन क्षतिग्रस्त पाई गयी। जिसके कारण ग्रीनवुड कालोनी के सीवर का निस्तारण वेदव्यासपुरी के ट्रंक सीवर लाईन में होता नहीं पाया गया, सीवर निस्तारण हेतु पुनः एक आगणन धनांक रू० 36,27,118.00 का तैयार किया गया है, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। प्रस्तावित सीवर लाइन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित एन.एच.-58 को पार करके निर्मित की जानी है, जिस हेतु एन.एच.ए.आई.(NHAI) से उक्त कार्य के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अनापत्ति उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है जोकि प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण(NHAI) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्राथमिता पर कार्य करा दिया जायेगा।

यहां यह भी स्पष्ट करना है कि गॉडविन कालोनी की सीवर का निस्तारण इस बात पर निर्भर करता है कि सीवरेज सिस्टम की डिजाईन के अनुसार कालोनी में निर्मित सम्पवेल में समस्त इन्टरनल सीवर लाईन का निस्तारण सूचारू रूप से हो रहा हो।

अतः उपरोक्तानुसार अभियन्त्रण खण्ड की आख्या को अपनी रिपोर्ट में समायोजित करने का कष्ट करें।

अधिशायी अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

प्रतिलिपि:-

- 1- उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

अधिशायी अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्यो हेतु प्राधिकरण में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से सपटित नियम व शर्तों के अधीन ई-निविदाये आमन्त्रित की जाती हैं:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	घरोहर राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	ई-निविदा खोलने की तिथि व समय	कार्य अवधि	कार्य की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्राधिकरण कार्यालय के पूर्ण परिसर की सफाई व्यवस्था मय समस्त आवश्यक सामग्री सहित का कार्य।	50.48	1.01	5700/-	28.06.23 4.00 PM	11.07.23 12.00 PM	11.07.23 02.00PM	01 वर्ष	प्राधिकरण में पंजीकृत होने की बाध्यता नहीं है। (अनुमती एजेन्सिया)
2	सुपर सोकर मशीन द्वारा रक्षापुरम आवासीय योजना में गहरी सीवर लाईन की डी-सिल्टिंग व मेनहोलों की सफाई का कार्य।	41.22	0.86	3450/-	28.06.23 4.00 PM	11.07.23 12.00 PM	11.07.23 02.00PM	03 माह	—
3	वाह्य विकास निधि के अन्तर्गत गोंडविन कालोनी से वेदव्यासपुरी तक सीवर लाईन डालने का कार्य।	30.48	0.61	3450/-	28.06.23 4.00 PM	11.07.23 12.00 PM	11.07.23 02.00PM	03 माह	सी
4	शताब्दीनगर योजना के सैक्टर- 02, 03 व 04 एवं एयरपोर्ट एन्क्लेव में सीवर लाईन, नाली, रोड, साईड पटरी /रोड की सफाई व कूड़ा निस्तारण के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य।	21.30	0.43	2350/-	28.06.23 4.00 PM	11.07.23 12.00 PM	11.07.23 02.00PM	01 वर्ष	सी
5	शताब्दीनगर योजना के सैक्टर- 01, 05, 06 व प्रधानमंत्री आवास योजना में सीवर लाईन, नाली, रोड, साईड पटरी/रोड की सफाई व कूड़ा निस्तारण के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य।	20.23	0.41	2350/-	28.06.23 4.00 PM	11.07.23 12.00 PM	11.07.23 02.00PM	01 वर्ष	सी
6	दिल्ली रोड से नूरनगर जाने वाले मार्ग पर स्थित सरस्वती वाटिका एवं सरस्वती वाटिका एक्स. के पहुंच मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	12.96	0.26	2350/-	28.06.23 4.00 PM	11.07.23 12.00 PM	11.07.23 02.00PM	03 माह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त 'क' श्रेणी लाईसेन्स धारक
7	लोहियानगर योजना के पाकेट-बी (पुलिस एन्क्लेव) एवं पाकेट-डी (बुद्धा एन्क्लेव) में क्षतिग्रस्त पानी की लाईन डालने का कार्य।	12.53	0.26	2350/-	28.06.23 4.00 PM	11.07.23 12.00 PM	11.07.23 02.00PM	01 माह	सी
8	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम सरायकाजी में निर्माणाधीन 576 दुर्बल आय वर्ग भवनों के परिसर की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	11.52	0.24	3450/-	28.06.23 4.00 PM	11.07.23 12.00 PM	11.07.23 02.00PM	03 माह	सी
9	लोहियानगर योजना के पाकेट-सी में भवन सं. 141 से 146 व 95 के सम्मुख पार्क, ए.एच. भवनों के परिसर एवं एक अन्य पार्क की क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत का कार्य।	6.96	0.14	1150/-	28.06.23 4.00 PM	11.07.23 12.00 PM	11.07.23 02.00PM	01 माह	डी
10	लोहियानगर योजना के पाकेट-एल में भवन सं. एल-572 से एल-574 तक इंटरलाकिंग टाइल्स, नाली निर्माण व सीवर के कार्य।	3.33	0.07	1150/-	28.06.23 4.00 PM	11.07.23 12.00 PM	11.07.23 02.00PM	01 माह	डी
11	गंगानगर योजना के पाकेट-एन में भूखण्ड सं. एन.पी. सी-1, एन.पी. सी.-2 व एन.पी. सी-3 के सामने सीवर लाईन डालने का कार्य।	1.80	0.041	1150/-	28.06.23 4.00 PM	11.07.23 12.00 PM	11.07.23 02.00PM	01 माह	डी
12	लोहियानगर योजना के पाकेट-सी में भवन सं. सी-232, भूखण्ड सं. सी-236 तक सीवर लाईन का निर्माण कार्य।	1.22	0.025	1150/-	28.06.23 4.00 PM	11.07.23 12.00 PM	11.07.23 02.00PM	01 माह	डी

शर्तें :-

1. निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि केवल RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा प्रपत्र में उल्लेखित बैंक खाते में जमा कराया जायेगी।
2. निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईट को देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन/परिवर्धन विषयक सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
3. निविदाओं को बिना कारण बतायें अस्वीकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में निहित है।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा के साथ धरोहर राशि व निविदा मूल्य के RTGS का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को फर्म का बैंक एकाउन्ट नं०, आई0एफ0एस0सी0 कोड एवं बैंक का नाम व स्थान का ब्यौरा संलग्न कराना अनिवार्य होगा।
7. ठेकेदार द्वारा निविदत्त दरें बी0ओ0क्यू0 में वर्णित दरों से निम्न प्राप्त होने पर नियमानुसार परफोरमेन्स गारन्टी देय होगी।
8. कार्यों के विषय में विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण सम्बन्धित खण्ड/अनुभाग के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है।
9. उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक पंजीयन, अधिष्ठान पंजीयन एवं लाभार्थी श्रमिकों द्वारा योजना का हितलाभ प्राप्त किये जाने हेतु आनलाईन आवेदन/पंजीयन की व्यवस्था की गई है। अतः कार्य आंवटित होने की दशा में कार्यादेश निर्गत होने और निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के मध्य सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा आंवटित कार्य के सापेक्ष भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम-1996 के अन्तर्गत श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाना होगा।
10. क्रमांक 01, 02 व 03 पर अंकित निविदा टू-विड पद्धति पर आमंत्रित की जाती है।
11. प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ई.पी.सी.ए.) द्वारा निर्धारित कार्ययोजना, ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान (GRAP) के मानकों/ प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
12. सीवर सफाई के कार्यों हेतु श्रमिकों को वांछित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए ही कराये जाने होंगे, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना न रहे। श्रमिकों की सुरक्षा का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
13. क्रम सं. 02 के कार्य हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत होने की बाध्यता नहीं है एवं कार्य की प्रकृति के दृष्टिगत अनुभवी फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है एवं कार्य हेतु फर्म को सुपर सकर मशीन से किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में प्रश्नगत कार्य की प्रकृति के कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र ई-निविदा के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही निविदादाता के पास अपनी स्वयं की सुपर सकर मशीन होनी चाहिये तथा मशीन की क्षमता 5600 cum प्रति घंटा से कम नहीं होनी चाहिये।

मुख्य अभियन्ता,

पत्रांक: 502/मु0अभि0-कार्या/2020-21

दिनांक: 24-06-2023

प्रतिलिपि:

1. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
2. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/प्रभारी विद्युत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह सम्बन्धित कार्यों के निविदा प्रपत्र/बी.ओ.क्यू. कम्प्यूटर अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री शरद श्रीवास्तव, सहायक प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निविदा आमन्त्रण सूचना तत्काल प्राधिकरण की वेबसाईट पर एवं निर्धारित अवधि में निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 ई-टैण्डर पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. अवर अभियन्ता-रखरखाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य अभियन्ता,

eProcurement System Government of Uttar Pradesh
 Created By: Vimal Kumar Sonkar
 Created Date/Time: 13-Sep-2023 05:15 PM
 Tender Title: Laying of Sewer Line From Godwin Colony to Vedvyaspuri (Under External Development)
 Tender ID: 2023_MDAUP_815955_1

Tender Inviting Authority: MEEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

Name of Work: Laying of Sewer Line From Godwin Colony to Vedvyaspuri (Under External Development)

Contract No: 502/CE Office 3 Dated 24 June 2023

SCHEDULE OF WORK / ITEM(S)

Sl.No	Bidder Name	Estimated Rate	Quoted Percentage	Quoted Rate in Figures and Words (Iteration:0)	
				Rate	Amount
1.00	KRISHNA INFRA(GSTN-NA)	3047998.40	-12.57	2664865.00	Twenty Six Lakh Sixty Four Thousand Eight Hundred and Sixty Five

Lowest Amount Quoted BY: KRISHNA INFRA(2664865.00)

E-TENDER OPENED BY

 C.E. P.C. SEC.

422

09-10-23

78/154

07/10/2023



मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: 124 / ई.ई. / 23

दिनांक: 06-10-23

"शीर्ष प्राथमिकता" / अनुस्मारक पत्र

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय राज्यमार्ग-58,
राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण,
ए-01 वैष्णोधाम निकट गायत्री हाईट,
कंकरखेडा, मेरठ।

विषय:-

गॉडविन कालोनी से वेदव्यासपुरी तक सीवर लाईन डालने के कार्य हेतु भारत पेट्रोलियम पम्प के सम्मुख एन.एच.-58 को ट्रंचलैस अन्डरग्राउन्ड कास कराकर डकटाईल आयरन पाईप के माध्यम से वेदव्यासपुरी के सीवर लाईन से जोड़ने हेतु अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक 42/ई.ई./23 दिनांक 09-08-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ग्रीनवुड सिटी कालोनी के सीवर निस्तारण हेतु वर्ष 2009 में ग्रीनवुड सिटी के समीप से 200 एम. एम. डायामेटर के (सी.ई. डी/एफ) पाईप लाईन बिछाकर वेदव्यासपुरी योजना की ट्रंक सीवर लाईन से जोड़ा गया था। जोकि एन.एच.-58 के विस्तारीकरण एवं फ्लाय ओवर के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ग्रीनवुड कालोनी के सीवर का निस्तारण वेदव्यासपुरी की ट्रंक सीवर लाईन में नहीं हो रहा है। पुनः मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा गॉडविन कालोनी से वेदव्यासपुरी तक सीवर डालने का कार्य वाह्य विकास मद के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य को मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण मुख्य बैंच द्वारा वाद सं0 492/2022 में पारित आदेश के अनुपालन में शीघ्र कराकर सूचित किया जाना है (आदेश की छायाप्रति संलग्न है)। जिसके लिए दिल्ली-रूडकी रोड पर स्थित गॉडविन कालोनी से आगे भारत पेट्रोलियम पम्प तक एन.एच.-58 के समानान्तर डकटाईल आयरन पाईप डालने के साथ-साथ भारत पेट्रोलियम पम्प के सम्मुख एन.एच.-58 को अन्डरग्राउन्ड कास करते हुए ट्रंचलैस डी.आई. पाईप के माध्यम से वेदव्यासपुरी ट्रंक सीवर लाईन में कनेक्ट करने हेतु अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु अभी तक अनापत्ति उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके कारण कार्य प्रारम्भ कराये जाने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त कार्य जनहित से जुड़ा हुआ है एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा इसकी निरन्तर मोनिटरिंग की जा रही है। कार्य समय से प्रारम्भ न होने के कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण से विपरीत आदेश होने की प्रबल सम्भावना है। जिसके कारण आपके विभाग एवं प्राधिकरण की छवि धुमिल होगी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि तदनुसार अनापत्ति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार आदेश की छायाप्रति।

ए.ए.ए.ए.

09/10/23
मुख्य अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।

प्रतिलिपि,

1-उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2-मुख्य अभियन्ता महोदय को अवलोकनार्थ।

Shri V P Awasthi
Singh.
10/10/23

(अरुण कुमार शर्मा)
अधिशायी अभियन्ता

30/09/23
(अरुण कुमार शर्मा)
अधिशायी अभियन्ता